व्यवसाय अध्ययन

अध्याय-2: व्यावसायिक संगठन केस्वरुप

SHIVOM CLASSES 8696608541

व्यवसायिक संगठन

व्यावसायिक संगठन से हमारा तात्पर्य किसी व्यवसाय को एक निश्चित योजना के अनुसार चलाना एवं न्यूनतम व्यय पर अधिकतम उत्पादन प्राप्त करना है। इस प्रकार, जब उत्पादन के तीनों प्रमुख अंगो भूमि, श्रम और पूंजी का विनियोग उत्पादन अथवा धन प्राप्ति के लिए व्यावसायिक साहस के साथ एक निश्चित योजना के अनुसार कर लिया जाता है, तब " व्यवसाय संगठन " का निर्माण होता है।

स्टीफेन्सन के अनुसार," व्यवसायिक संगठन से आशय सामान्यतः व्यापार अथवा उसी प्रकार कि किसी अन्य व्यवसाय की गतिविधियों के संचालन एवं नियंत्रण करने से है। "

जेम्स एल. लूण्डी के अनुसार," व्यवसायिक संगठन का प्रमुख कार्य नियोजन, समन्वय तथा प्रेरणा प्रदान करना है तथा किसी विशिष्ट उद्देश्य की प्राप्ति के लिए कार्य नियंत्रित करना है। "

व्यवसायिक संगठन का स्वरूप

व्यावसायिक संगठन के स्वरूप का चयन करना व्यवसाय में अत्यंत महत्वपूर्ण है| यदि कोंई व्यक्ति अपना व्यवसाय आरंभ करना चाहता है तो उसे सभी संसाधनों तथा अन्य कारक जैसे जोखिम, गोपनीयता, दायित्व, योग्यता आदि को ध्यान में रखते हुए व्यवसाय के स्वरूप का चयन करना होगा|

व्यवसायिक संगठन के प्रकार

- एकल स्वामित्व
- संयुक्त हिन्दू परिवार व्यवसाय
- साझेदारी
- सहकारी समिति
- संयुक्त पूंजी कंपनी|

1. एकल स्वामित्व :

SHIVOM CLASSES 8696608541

SHIVOM CLASSES - WhatsApp for Notes (8696608541)

एकल स्वामित्व व्यवसायिक संगठन का एक ऐसा स्वरूप है जिसमें एक ही व्यक्ति के पास उसके व्यवसाय से सम्बंधित सभी प्रकार की शक्तियाँ होती है| यह छोटे व्ययसाय के लिए उपयुक्त है| व्यवसाय में अर्जित लाभ इसका अपना होता है तथा हानि के लिए उतरदायी होता है

विशेषताएं

1) **एकल स्वामित्व :**एकाकी व्यापार की प्रथम महत्वपूर्ण विशेषता यह है की इस पर एक ही व्यक्ति का स्वामित्व होता है|
2) **एकाकी प्रबंधन :**एकाकी व्यापर में स्वामी ही साधारणतः प्रबंधक का कार्य भी करता हैं| प्रबंधको द्वारा किये गए कार्यों के लिए भी वह स्वयं ही उतरदायी होता है|

SHIVOM CLASSES 8696608541

SHIVOM CLASSES - WhatsApp for Notes (8696608541)

3) **असीमित दायित्व :** एकाकी व्यापारी का दायित्व व्यवसाय में विनियोजित पूंजी से अधिक हो सकता है|यदि व्यवसाय में अधिक हानि हो जाए और व्यवसाय की सम्पति पर्याप्त न हो तो घरेलु सम्पतियों का प्रयोग किया जायेगा|

4) **व्यवसाय के चयन की स्वतंत्रता :** एकाकी व्यवसाय अपनी इच्छानुसार किसी भी व्यवसाय को चुन सकता है व्यवसाय के अन्य स्वरुपों में अनेक लोगो की राय से ही व्यवसाय का चयन सम्भव है|

5) **गोपनीयता :** व्यवसाय से संबंधित सभी महत्वपूर्ण बातों की जानकारी केवल स्वामी को ही होती है तथा कोई भी बाहरी पक्षकार इनसे अनुचित लाभ नही उठा सकता|

6) **व्यवसाय का पृथक वैधानिक अस्तित्व नहीं होता :** व्यवसाय का व्यवसायी से अलग कोई भी वैधानिक अस्तित्व नही होता,जो भी सम्पति व दायित्व व्यवसाय के है वे सभी व्यवसायी के ही होता है अत: सभी व्यापारिक गतिविधियों के लिए वह स्वयं ही उतरदायी होगा, न की व्यवसाय |

7) **अविभाजित जोखिम :** एकाकी व्यापार के लाभ तथा हानि दोनों का सम्बन्ध केवल स्वामी से होता है|

8) **कुछ विशेष व्यवसायों के लिए उपयुक्त:** जहाँ व्यक्तिगत सतर्कता तथा सेवा की जरुरत होती है वहां केवल एकाकी व्यापार ही प्रारंभ किया जा सकता है जैसे- कृषि, बेकरी आदि|

एकाकी स्वामित्व के लाभ:

1) **शीघ्र निर्णय :** एकाकी व्यापारी अकेला ही समस्त व्यवसाय को संचालित करता है तथा वह बिना किसी देरी के शीघ्र निर्णय लेकर अपने व्यवसाय को लाभ पहुंचता है|

2) **गोपनीयता का लाभ :** व्यवसाय को सफल बनाने के लिए अनेक महत्वपूर्ण रहस्यों को छिपा कर रखना जरुरी होता है

3) **प्रत्यक्ष प्रेरणा :** एकाकी व्यवसायी को कार्य करना के लिए किसी बहरी प्रेरणा की आवश्यकता नहीं होती वह इस बात से प्रेरित होता है की जितना लाभ होगा वह सारा उसी की झोली में जाता हैं|

SHIVOM CLASSES 8696608541

SHIVOM CLASSES - WhatsApp for Notes (8696608541)

4) **व्यकितगत नियंत्रण :** व्यापर का अकेला स्वामी ओर सर्वेसर्वा होने के करना एकाकी व्यापारी का व्यवसाय पर नियंत्रण रहता है|

5) **स्थापना में सुगमता :** एकाकी व्यापर की स्थापना करना बहुतआसना है क्योंकी इसे लिए किसी प्रकार की वेधानिकाओपचारिता को पूरा करना आवश्यक है

एकाकी स्वामित्व की सीमाए

1. **पूंजी के सीमित साधन :** एकाकी व्यापारी में वितीय साधन व्यवसायी किअपनी स्वयं की पूंजी तथा उसके पैसे उधार लेने की क्षमता तक सिमित होते है|
2. **अस्थायी अस्तित्व :** एकाकी व्यापर के संचरण में लगातार अनिश्चितता बनी रहती है यदि स्वामी की मृत्यु हो जाये तो व्यवसाय को पूरी तरह बंद ही करना पड़ता है|
3. **असीमित दायित्व :** एकीकरण व्यापर की सबसे बड़ी कमी इसमें असीमित दायित्व अथवा अत्यधिक व्यक्तिगत जोखिम का पाया जाना है| असीमित दायित्व का दोष एकाकी व्यापर के विकास में एक बहुत बड़ी बाधा है|

सीमाएँ

1. **पूंजी के सीमित साधन :** एकाकी व्यापार मे वित्तीय साधन व्यवसायी की अपनी स्वंय की पूंजी तथा उसकी रूपया उधार लेने की क्षमता तक सीमित होते है|
2. **अस्थायी अस्तित्व :** एकाकी व्यापार के संचालन मे लगातार अनिश्चितता बनी रहती है| यदि किसी आवश्यक कर्यवश या अस्वस्थ होने के कारण एकाकी व्यापारी को अपने व्यापारी को अपने वव्यावसायिक संस्थान से अनुपस्थित रहना पड़ जाए तो कारोबार को या तो कर्मचारियो के छोड़ना पड़ता है या फिर कुछ समय के लिए बंद करना पड़ सकता है| जिसके ग्राहक असंतुष्ट होकर दुसरे दुकानदारो से माल खरीदने लगे है|
3. **असीमित दायित्व :** एकाकी व्यापार की सबसे बड़ी कमी इसमें असीमित दायित्व अथवा अत्यधिक व्यक्तिगत जोखिम का पाया जाना है| एकाकी व्यापारी को ही व्यवसाय का सारा जोखिम सहन करना पड़ता है| यदि किसी कारणवश व्यवसाय असफल हो जाए तो व्यवसायी का सब कुछ चला जाता है और यहाँ तक की उसके घर का सामान तक बिक जाता है|

SHIVOM CLASSES 8696608541

SHIVOM CLASSES - WhatsApp for Notes (8696608541)

4. **असंतुलित प्रबन्ध :** एकाकी व्यापार को व्यसाय में की जाने वाली विभिन क्रियाओं ; जैसे - क्रय, विक्रय, उत्पादन,वित्, आदि को स्वंय ही करना पड़ता है और प्राय: कोई भी व्यक्ति इतना सक्षम नही हो सकता की इन सभी क्रियाओ को सफलतापूर्वक सम्पन कर ले|

2. साझेदारी

साझेदारी का अर्थ

साझेदारी का मतलब ऐसे व्यवसायिक संगठन से है जिसमें दो या दो से अधिक लोग मिलकर एक ही व्यवसाय को क़ानूनी तरीके से चलाने के लिए सहमत होते है इस प्रकार के व्यवसाय को साझेदारी कहते है|

एक साझेदारी एक प्रकार का व्यवसाय है जहां दो या दो से अधिक लोगों के बीच औपचारिक समझौता किया जाता है जो सह-मालिक होने के लिए सहमत होते हैं, संगठन चलाने के लिए जिम्मेदारियों को वितरित करते हैं और व्यवसाय से होने वाली आय या हानि को साझा करते हैं।

ये सभी व्यक्ति जिन्होंने एक-दूसरे से साझेदारी कर ली हो, व्यक्तिगत रूप से साझेदार और सामूहिक रूप से फर्म कहलाती हैं, और वह नाम जिससे उनका कारोबार चलाया जाता है, उसे फर्म का नाम कहते हैं।

साझेदारी की परिभाषा

(Definition of Partnership)- भारतीय साझेदारी अधिनियम, 1932 (Indian Partnership Act, 1932) की धारा 4 के अनुसार,

SHIVOM CLASSES - WhatsApp for Notes (8696608541)

"साझेदारी उन व्यक्तियों का आपसी सम्बन्ध हैं, जिन्होंने एक ऐसे व्यवसाय के लाभ को आपस में बाँटने का करार किया है जो उन सबके द्वारा या उन सभी की ओर से उनमें से किसी एक या अधिक के द्वारा संचालित किया जाता है।"

साझेदारी के लक्षण तथा विशेषताएँ

वैधानिक लक्षण :

साझेदारी के वैधानिक लक्षण वे है जिसका वर्णन भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 में किया गया है|

1. **व्यवसाय का होना :** दो या दो से अधिक व्यक्तियों के संगठित होने को साझेदारी तभी कहा जाता है यदि वे किसी व्यवसाय को चलाने के लिए सहमत हुआ हो व्यवसाय का वैधानिक होना जरुरी है|
2. **एक से अधिक व्यक्तियों का होना :** किसी भी साझेदारी में कम से कम दो व्यक्तियों का होना आवश्यक हैं, क्योकि अकेला व्यक्ति स्वय अपना ही साझेदारी नही हो सकता|
3. उद्देश्य लाभ कमाना और आपस मैं बांटना :साझेदारी का महत्वपूर्ण लक्ष्य लाभ कमाना और आपस मैं बांटना होता है|कोई भी संस्था जिसका उद्देश्य लाभ कमाना नही है वह क़ानूनी रूप से साझेदारी नही हो सकती|
4. **स्वामी एवं एजेंट का संबंध :** स्वामी एवं एजेंट के संबंध का अभिप्राय यह है की जिस प्रकार एक स्वामी अपने एजेंट द्वारा अधिकार क्षेत्र में रहते हुए किये गए अनुबंध के लिय उत्तरदायी होता हैं,ठीक उसी प्रकार एक साझेदार अपने कार्यो से अन्य समस्त साझेदार **को बाध्य कर सकता हैं|**

SHIVOM CLASSES 8696608541

SHIVOM CLASSES - WhatsApp for Notes (8696608541)

सामान्य लक्षण :

साझेदारी का वह लक्षण जिनका विधान में स्पष्ट उल्लेख नहीं किया गया हैं,सामान्य लक्षण कहलाते हैं|

1. **असीमित दायित्व:** साझेदारी में प्रत्येक साझेदार का दायित्व असीमित होता हैं| साझेदारी के समस्त जिम्मेदारी के लिए प्रत्येक साझेदार संयुक्त व पृथक् दोनों प्रकार से उत्तरदायी होता है|
2. **कोई अलग अस्तित्व नही:** साझेदारी का अस्तित्व साझेदारों से अलग नही हो सकता|अस्तित्व साझेदारों से अलग नही हो सकता|
3. **ज्यादा सद्विश्वास:** साझेदारों के बीच में ज्यादा सद्विश्वाश होना साझेदारी की नीव है|इस विशेषता के बिना सझेदरी का कोई मतलब नही है|
4. **साझेदारों में अपने हस्तांतरण पर रोक:** कोई भी साझेदार फर्म में अपने हित कोकिसी अन्य व्यक्ति के पक्ष में तब तक हस्तांतरित नही कर सकता जब तक की बचे हुआ सब साझेदार सहमत न हो जाएँ|

साझेदारी के प्रकार

साझेदारी की प्रक्रति के आधार पर इसका विभाजन निम्न प्रकार किया जा सकता है:

- **सामान्य तथा सीमित साझेदारी :** सिमित साझेदारी में साझेदार दो प्रकार के होते है :पहला सामान्य साझेदार और दुसरे विशिष्ट साझेदार| सामान्य साझेदारों का दायित्त्व असीमित होता है जबकि विशिष्ट साझेदारों का सीमित|
- **ऐच्छिक तथा विशेष साझेदारी :** ऐच्छिक साझेदारी अनिश्चितकाल के लिए तथा कोई भी व्यवसाय करने के लिए की जाती है,जबकि विशेष साझेदारी किसी विशेष उद्देश्य के लिए कि जाती है तथा उस पूर्व निश्चित उद्देश्य के पूरा होते ही समाप्त हो जाती है|
- **वैध तथा अवैध साझेदारी :** साझेदारी की स्थापना के लिए भारतीय साझेदारी अधिनियम के अंतर्ग्रत रजिस्टर करना जरुरी नही है फिर भी साझेदारी संघटनों को इस अधिनियम के कानूनों के अंतर्ग्रत काम करना होता है|

SHIVOM CLASSES 8696608541

SHIVOM CLASSES - WhatsApp for Notes (8696608541)

साझेदारी की लाभ

1. **आसान गठन :** एकमात्र स्वामित्व की तरह, कानूनी औपचारिकताओं के बिना संगठन का साझेदारी रूप बन सकता है। संयुक्त स्टॉक कंपनियों के मामले में किसी भी औपचारिक दस्तावेज को तैयार करने की आवश्यकता नहीं है। एक समझौता जो मौखिक या लिखित हो सकता है, संगठन के साझेदारी रूप में प्रवेश करने के लिए पर्याप्त है। यहां तक कि साझेदारी का पंजीकरण भी अनिवार्य नहीं है।
2. **बड़े संसाधन :** संगठन का साझेदारी रूप एकमात्र स्वामित्व की तुलना में बड़े संसाधनों का आनंद लेता है ताकि बड़े पैमाने की अर्थव्यवस्थाओं का लाभ प्राप्त करने के लिए ऑपरेशन के पैमाने को बड़ा किया जा सके।

   अगर पूंजी की जरूरत बड़ी है तो अधिक भागीदारों को साझेदारी में लिया जा सकता है। साझेदारी फर्म बाहरी स्रोतों से धन की व्यवस्था भी कर सकते हैं।

3. **लचीलापन:** व्यवसाय, बहुतायत से मोबाइल, लचीला और लोचदार है, जो इसकी गतिविधियों पर कानूनी प्रतिबंध से मुक्त है। साझेदार किसी भी परिवर्तन को लागू कर सकते हैं जिसे वे बदली हुई परिस्थितियों को पूरा करने के लिए वांछनीय मानते हैं।
4. **संयुक्त कौशल और संतुलित निर्णय:**

   संगठन की साझेदारी के रूप में भागीदारों की क्षमता, अनुभव और प्रतिभा का लाभ मिलता है। यह विशिष्ट लाभ साझेदारी एकमात्र स्वामित्व पर आनंद लेती है क्योंकि सब कुछ आपसी परामर्श द्वारा किया जाता है।

   एसएस चटर्जी के अनुसार, "संयुक्त क्षमताओं और निर्णय, जब ठीक से एकीकृत एक परिणाम है कि सभी व्यक्तिगत क्षमताओं के योग की तुलना में काफी अधिक हो जाता है।"

5. **जोखिम का साझाकरण:** फर्म द्वारा बनाए गए किसी भी नुकसान को सभी भागीदारों द्वारा समान रूप से लाभ के साथ वहन किया जाएगा कि प्रत्येक साथी द्वारा वहन किया जाने वाला बोझ बहुत कम होगा जबकि एकमात्र मालिक को व्यवसाय का संपूर्ण नुकसान उठाना पड़ता है।

SHIVOM CLASSES - WhatsApp for Notes (8696608541)

6. **व्यक्तिगततत्व:** व्यवसाय में व्यक्तिगत तत्व और संबंधित देखभाल, दक्षता और अर्थव्यवस्था सुनिश्चित की जाती है। इस प्रकार, उत्पादन के लिए एक प्रभावी प्रेरणा है। साझेदार के रूप में कर्मचारियों की देखरेख को भी प्रभावी ढंग से किया जा सकता है, साझेदारी फर्म के मामलों के प्रबंधन में व्यक्तिगत रूप से कार्य करता है।

साझेदारी के नुकसान

1. **सद्भाव की कमी:** भागीदारों के बीच सामंजस्य की कमी की संभावना हमेशा रहती है। भिन्नता के कारण अक्सर मतभेद और प्रबंधन में कमी होती है, जब मतभेद उत्पन्न होते हैं, तो प्रत्येक साथी दूसरे साथी को उसके बेईमान व्यवहार और फर्म के हित के खिलाफ काम करने के लिए दोषी ठहराने की कोशिश करता है। यह फर्म के विघटन और अंतिम विघटन के परिणामस्वरूप होता है।
2. **सीमित संसाधन:** जो सीमा बीस से अधिक नहीं हो सकती है वह व्यापारिक संगठन की साझेदारी के सदस्य नहीं हो सकती है, पूंजी की मात्रा को सीमित किया जा सकता है। दरअसल, फर्म के सदस्यों के बीच सद्भाव को सुरक्षित रखने के लिए, कानून द्वारा अनुमत संख्या से बहुत कम रखा जाना चाहिए। यह संसाधनों को इस परिणाम के साथ सीमित करता है कि बड़े पैमाने पर व्यापार को संगठन के साझेदारी रूप से नहीं चलाया जा सकता है।
3. **अस्थिरता:** संगठन की साझेदारी का स्वरूप पार्टनर की मृत्यु, पागलपन या पागलपन पर अचानक समाप्त हो सकता है। साझेदारी को बंद भी किया जा सकता है यदि एक एकल साथी साझेदारी को भंग करने की इच्छा व्यक्त करता है या एक या अधिक अन्य भागीदारों के गलत कार्य के कारण अदालत के आदेश से इसे भंग कर देता है। भागीदारों के बीच विश्वास की कमी से फर्म का विघटन हो सकता है।
4. **लोक आस्था का अभाव:** जैसा कि साझेदारी की चिंता किसी भी विनियमन और किसी कानूनी गठन और कामकाज के अधीन नहीं है, लोगों को इस तरह के संगठन के बारे में कम विश्वास है कि हर अब और फिर लोग ऐसी साझेदारी चिंताओं के विघटन के बारे में सुनते

SHIVOM CLASSES 8696608541

SHIVOM CLASSES - WhatsApp for Notes (8696608541)

हैं। इसके अलावा, लोगों को साझेदारी के व्यवसाय की सही स्थिति के बारे में पता है, इसका कारण यह है कि साझेदारी की चिंताओं का लेखा-जोखा प्रकाशित नहीं किया जाता है।

5. **प्रतिबंधित उद्यम:** जैसा कि असीमित दायित्व साझेदारों के निजी भाग्य को भी कवर करता है, भागीदार सतर्क होने के लिए बाध्य हैं। यह उद्यम को प्रतिबंधित करता है। वास्तव में, व्यक्तिगत साझेदार का दायित्व अधिकांश उद्देश्यों के लिए अत्यधिक माना जा सकता है। इसलिए, व्यापार संगठन का साझेदारी रूप केवल छोटे स्तर के व्यापार के लिए उपयोगी होता है, जैसे कि खुदरा व्यापार, एक आधुनिक आकार का व्यापारिक घर या बहुत छोटा विनिर्माणव्यवसाय।

3. संयुक्तहिन्दू परिवार व्यवसाय

संयुक्त हिन्दू परिवार व्यवसाय एक ऐसा व्यवसाय होता है जिसका स्वामित्व एक संयुक्त हिन्दू परिवार के सदस्यों के पास होता है। इसे हिन्दू अविभाजित परिवार व्यवसाय भी कहते हैं। संगठन का यह स्वरूप हिन्दू अधिनियम के अंतर्गत कार्य करता है तथा उत्तराधिकार अधिनियम से नियंत्रित होता है। संयुक्त हिन्दू परिवार व्यावसायिक संगठन का ऐसा स्वरूप है जिसमें परिवार के पास पूर्वजों की कुछ व्यावसायिक संपत्ति होती है। संपत्ति में हिस्सा केवल पुरुष सदस्यों का होता है। एक सदस्य को पूर्वजों की इस संपत्ति में से हिस्सा अपने पिता, दादा तथा परदादा से मिलता है। अत: तीन अनुक्रमिक पीढ़ियाँ एक साथ विरासत में संपत्ति प्राप्त कर सकती हैं। संयुक्त हिन्दू

SHIVOM CLASSES - WhatsApp for Notes (8696608541)

परिवार व्यवसाय को केवल पुरुष सदस्य चलाते हैं जो कि व्यवसाय के सहभागी कहलाते हैं। आयु में सबसे बड़े सदस्य को कर्ता कहते हैं।

संयुक्त हिन्दू परिवार व्यवसाय का अर्थ

संयुक्त हिन्दू परिवार व्यवसाय एक प्रकार की ऐसी व्यावसायिक इकाई हैं जो संयुक्त या अविभाजित हिन्दू परिवारों द्वारा चलायी जाती हैं। परिवार के तीन पीढ़ियों के सदस्य इस व्यवसाय के सदस्य होते हैं। सभी सदस्यों का व्यावसायिक सम्पत्ति के स्वामित्व पर बराबर का अधिकार होता हैं। संयुक्त हिन्दू परिवार व्यवसाय में सदस्यता का अधिकार परिवार में जन्म से ही प्राप्त होता हैं। अवयस्क को सदस्य बनाने पर कोई प्रतिबंध नहीं होता हैं।

हिन्दू अधिनियम की 'दयाभाग प्रणाली' के अनुसार सभी पुरुष एवं स्त्री सदस्य व्यवसाय के संयुक्त स्वामी होते हैं। परंतु हिन्दू अधिनियम की 'मिताक्षरा प्रणाली' के अनुसार परिवार के केवल पुरूष सदस्य ही सहभागी बन सकते हैं। 'दयाभाग प्रणाली' पश्चिम बंगाल में लागू होता हैं तथा 'मिताक्षरा' देश के बाकी सभी हिस्सों में लागू हैं।

संयुक्त हिन्दू परिवार व्यवसाय की विशेषताएं

1. **स्थापना-** इस व्यवसाय की स्थापना के लिये कम से कम दो सदस्य तथा कुछ पैत्रिक संपत्ति होनी चाहिये।
2. **वैधानिक स्थिति-** यह व्यवसाय हिन्दू उत्तराधिकारी अधिनियम 1956 द्वारा शासित होता हैं।
3. **सदस्यता-** इस व्यवसाय के सदस्य केवल परिवार के सदस्य होते हैं। परिवार के बाहर का कोई भी व्यक्ति सदस्य नहीं हो सकता हैं।
4. **लाभ का बंटवारा-** सभी सहभागी सदस्यों की लाभ में बराबर की हिस्सेदारी होती हैं।
5. **प्रबंधन-** इस व्यवसाय का प्रबंध परिवार का वरिष्ठ जिसे कर्ता कहते हैं देखता हैं। परिवार के दूसरे सदस्यों को प्रबंधन में भाग लेने का अधिकार नहीं होता। कर्ता को अपनी मर्जी के अनुसार प्रबंधन का अधिकार हैं। कोई भी उसके प्रबंधन के तरीके पर उंगली नहीं उठा सकता हैं।

SHIVOM CLASSES 8696608541

SHIVOM CLASSES - WhatsApp for Notes (8696608541)

6. दायित्व- इसमें कर्ता का दायित्व असीमित होता हैं तथा उसके अन्य सदस्यों का दायित्व उसके अंशों तक सीमित होता हैं।
7. निरन्तरता-व्यवसाय के किसी सदस्य का मृत्यु होने पर भी व्यवसाय बंद नहीं होता। यह लगातार पीढ़ी दर पीढ़ी चलते रहता हैं।

संयुक्त हिन्दू परिवार व्यवसाय के गुण

1. **निश्चित लाभांष-** संयुक्त हिन्दू परिवार सदस्यों का लाभांश निश्चित होता हैं। उन्हें व्यापार को चलाने में भाग न लेने पर भी लाभ प्राप्त होने की गारंटी होती हैं। सदस्यों की बीमारी, कमजोरी, अवयस्क होने पर भी लाभ प्राप्त होता हैं।
2. **शीघ्र निर्णय-** व्यापार का प्रबंध कर्ता द्वारा किया जाता हैं। उसे निर्णय लेने की पूर्ण स्वतंत्रता होती हैं। अत: निर्णयीघ्र लिया जा सकता हैं। तथा उसे निर्णय में किसी अन्य सदस्यों की सहभागिता की आवश्यकता नहीं होती हैं।
3. **ज्ञान और अनुभव को बांटना-** संयुक्त हिन्दू परिवार व्यवसाय के युवा सदस्यों को अपने बुजुर्ग सदस्यों से अनुभव व ज्ञान की सीख प्राप्त होती है। इसमें अनुशासन, साहस, आत्मबल, कतर्व्यनिष्ट सहनशील आदि शामिल रहता हैं।
4. **सदस्यों का सीमित दायित्व-** कर्ता को छोड़कर सभी सदस्यों का दायित्व उनकी द्वारा लगाई गई पंजी अर्थात अंशों तक सीमित रहता हैं।
5. **कर्ता का असीमित दायित्व-** यदि व्यापार को लगातार हानि होने के कारण देयताओं में वृद्धि होती हैं तो कर्ता की निजी सपंत्तियों को बेचकर दायित्वों को परू ा किया जा सकता है। अत: कर्ता जवाबदारी पूर्वक व्यापार का संचालन करता हैं।
6. **निरंतर अस्तित्व-** संयुक्त हिन्दू परिवार का संचालन निर्बाध गति से निरंतर चलते रहता हैं। कर्ता के मृत्यु होने पर अन्य वरिष्ठ सदस्य द्वारा व्यापार का संचालन किया जाता हैं। अर्थात किसी भी दशा में व्यापार बंद नही होंता। अत: व्यापार का अस्तित्व बना रहता हैं।
7. **कर लाभ-** इस व्यापार के प्रत्येक सदस्य को लाभ पर व्यक्तिगत रूप से कर अदा करना पड़ता हैं। अत: कर लाभ की प्राप्ति होती हैं।

संयुक्त हिन्दू परिवार व्यवसाय की सीमाएं

SHIVOM CLASSES 8696608541

SHIVOM CLASSES - WhatsApp for Notes (8696608541)

1. **सीमित संसाधन-** संयुक्त हिन्दू परिवार व्यवसाय में वित्त तथा प्रबंधकीय योग्यता सीमित होती हैं।
2. **प्रेरणा की कमी-** कर्ता के अतिरिक्त सदस्यों का दायित्व सीमित तथा लाभ में बराबर का हिस्सा होता हैं। परन्तु प्रबंध में इनकी कोई भागीदारी नहीं होती हैं। अत: इनमें प्रेरणा की कमी होती है।
3. **अधिकारों के दुरूपयोग की संभावना-** व्यापार का संचालन करना पूर्णत: कर्ता के हाथ में होता हैं। अत: कभी कभी वह अपने निजी लाभ के लिये अधिकारों का दुरूपयोग करता हैं।
4. **अस्थिरता-** संयुक्त हिन्दू परिवार व्यवसाय की निरंतरता पर हमेशा खतरा बना रहता हैं। व्यापार में छोटा सा अनबन भी व्यापार को समाप्त कर सकता हैं।

संयुक्त हिन्दू परिवार व्यवसाय की उपयुक्तता

जिस परिवार में कई पीढ़ियों से कोई व्यवसाय विशेष होता चला आ रहा हैं और आगे भी परिवार के सदस्य उस व्यापार को चलाना चाहते हैं। वहीं पर संयुक्त हिन्दू परिवार व्यवसाय उपयुक्त होता हैं। इसके निम्न व्यापार के लिये यह उपयुक्त होता हैं-

- जिसमें कम पूंजी की आवश्यकता हो।
- कम प्रबंध की आवश्यकता हो।
- जिस व्यापार का क्षेत्र सीमित हो।
- देशी, बैकिंग, लघु उद्योग और शिल्प व्यवसाय के लिये उपयुक्त हैं।

4. सहकारी समिति

SHIVOM CLASSES 8696608541

SHIVOM CLASSES - WhatsApp for Notes (8696608541)

सहकारी समितियों को सहकारी संस्था, सार्वजनिक निगम एवं सहकारी उपक्रम आदि के नामों से जाना जाता है सहकारी समिति ऐसे लोगों का संघ होता है जो अपने पारस्परिक लाभ के लिए स्वेच्छा पूर्ण सहयोग करते हैं।

औद्योगिक क्रांति के कारण उत्पन्न आर्थिक व सामाजिक तंगी के परिणाम स्वरुप भारत में वर्ष 1960 में एडवर्ड लॉ की अध्यक्षता में सहकारी समिति के संगठनों की व्यवस्था एक प्रस्ताव के आधार पर की गई प्रस्ताव के आधार पर 1904 में सहकारी साख अधिनियम पास किया गया, कई पूंजीवादी देशों जैसे संयुक्त राष्ट्र अमेरिका तथा जापान आदि देशों में सहकारी समितियों ने देश में उन्नति लाई है।

सहकारी समिति की परिभाषा

सहकारी शब्द का शाब्दिक अर्थ है साथ मिलकर कार्य करना अर्थात ऐसे व्यक्ति जो समान रूप से आर्थिक उद्देश्य के लिए साथ मिलकर काम करते हैं वह सहकारी समिति बना सकते हैं इसे ही सहकारी समिति कहते हैं।

सहकारी समिति की कार्यप्रणाली व उद्देश्य

यह ऐसे व्यक्तियों की स्वयं सेवा संस्था है जो अपने आर्थिक हितों की रक्षा के लिए कार्य करते हैं यह समिति स्वयं व परस्पर सहायता के सिद्धांत पर कार्य करती है इस समिति में कोई भी व्यक्ति व्यक्तिगत लाभ के उद्देश्य से कार्य नहीं करता है।

SHIVOM CLASSES 8696608541

SHIVOM CLASSES - WhatsApp for Notes (8696608541)

सहकारी समिति एक प्रकार का ऐसा संगठन है जिसमें व्यक्ति अपनी इच्छा से समानता के आधार पर आर्थिक हित के लिए अपने-अपने संसाधनों को एकत्र कर व उनका अधिकतम उपयोग कर लाभ प्राप्त करते हैं और उसे आपस में बांट लेते हैं।

जैसे किसी क्षेत्र के विद्यार्थी विभिन्न कक्षाओं की पुस्तकें गरीब व निर्धन विद्यार्थियों को पुस्तके उपलब्ध कराने के उद्देश्य से एकत्र होकर एक समिति बनाते हैं, अब विद्यार्थी सीधे प्रकाशकों से संबंधित कक्षा व विषय की पुस्तकें क्रय करके गरीब व निर्धन विद्यार्थियों को बहुत ही सस्ते दामों पर बेचते हैं क्योंकि वह सीधे प्रकाशकों से पुस्तकें क्रय करते हैं तो इस प्रकार मध्यस्थों के लाभ की समाप्ति हो जाती है।

सहकारी समितियों की विशेषताएं

1. **स्वैच्छिक संस्था :** यह एक स्वैच्छिक संस्था है इसमें कोई भी व्यक्ति कभी भी सदस्य बन सकता है और स्वेच्छा से सदस्यता छोड़ भी सकता है
2. **खुली सदस्यता :** सहकारी समिति की सदस्यता समान हितों व उद्देश्य वाले सभी व्यक्तियों के लिए खुली होती है इसके अलावा सदस्यता लिंग, वर्ण, जाति व धर्म के आधार पर प्रतिबंधित नहीं होती है
3. **एक वैधानिक इकाई :** एक सहकारी उपक्रम को सहकारी समिति अधिनियम 1912 अथवा राज्य सरकार के सहकारी समिति के अधिनियम के अंतर्गत पंजीकरण करवाना अनिवार्य है एक सहकारी संस्था का अपने सदस्यों से पृथक व अलग वैधानिक अस्तित्व होता है
4. **वित्तीय प्रबंध :** सहकारी समिति में पूंजी सभी सदस्यों द्वारा लगाई जाती है और यदि संस्था पंजीकृत हो जाती है तो वह ऋण भी ले सकती है साथ ही सरकार से अनुदान भी प्राप्त किया जा सकता है
5. **मताधिकार :** सहकारी समिति का मुख्य उद्देश्य सेवा करना होता है यद्यपि यह उचित लाभ भी प्राप्त कर सकती है और एक सदस्य के पास केवल एक मत देने का अधिकार होता है चाहे उसके पास कितने ही अंशु हो

SHIVOM CLASSES 8696608541

SHIVOM CLASSES - WhatsApp for Notes (8696608541)

सहकारी समितियों के प्रकार

1. **उपभोक्ता सहकारी समितिया:** यह समितियों उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा के उद्देश्य से बनाई गई है यह सीधे उत्पादकों व निर्माताओं से माल खरीद कर वितरण प्रक्रिया से मध्यस्थों की समाप्ती कर देती है इस प्रकार सीधे वस्तुएं उत्पादकों से उपभोक्ताओं तक कम मूल्य में पहुंच जाती है। जैसे की केंद्रीय भंडार व राज्य भंडार आदि।
2. **उत्पादक सहकारी समितियां:** यह समितियां लघु व छोटे उद्योगों के उत्पादकों के लिए कच्चा माल, मशीनरिस, उपकरण आदि की आपूर्ति करके उनकी मदद करती है। जैसे बायोनिका, हरियाणा हैंडलूम आदि।
3. **सहकारी विपणन समितियां:** यह समितियां छोटे उत्पादक व निर्माताओं से मिलकर बनती है जो स्वयं अपने उत्पाद को बेच नहीं सकते सहकारी समिति इन सभी सदस्यों से माल एकत्र कर उसे बाजार में बेचने का उत्तरदायित्व लेती है। जैसे अमूल दूध, सांची दूध इत्यादि।
4. **सहकारी वित्तीय समितियां :**
   इस प्रकार की सहकारी समिति सदस्यों दर्शकों सहायकों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराती है समिति सदस्यों से व पंजीकृत होने की दशा में राज्य सरकार से पूंजी एकत्रित कर जरूरत के समय उचित ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध करवाती है। जैसे ग्राम सेवा सहकारी समिति व सहकारी समिति आदि।

शाकाहारी सामूहिक आवास समितियां

यह आवास समितियां अपने सदस्यों को आवासीय मकान उपलब्ध कराने के उद्देश्य से बनाई जाती हैं यह समितियां भूमि क्रय कर के मकान व प्लाट की व्यवस्ता करती है और उनका आवंटन अपने सदस्यों को करती है।

सहकारी समिति के लाभ

1. **स्वैच्छिक संगठन :** यह एक स्वैच्छिक संगठन है इसमें कोई भी सदस्य अपनी स्वेच्छा से आ जा सकता है वह किसी भी समय सदस्यता छोड़ भी सकता है यह पूंजीवादी तथा समाजवादी दोनों प्रकार के आर्थिक क्षेत्रों में पाया जाता है

SHIVOM CLASSES 8696608541

SHIVOM CLASSES - WhatsApp for Notes (8696608541)

2. **मध्यस्थों के लाभ की समाप्ति :** सहकारी समिति के सदस्य उपभोक्ता अपने माल की आपूर्ति पर स्वयं नियंत्रण रखते हैं माल सदस्यों द्वारा सीधे उत्पादकों से क्रय किया जाता है इस प्रकार मध्यस्थों की समाप्ति हो जाता है
3. **समिति देनदारी :** सहकारी समिति में देनदारी उनके द्वारा लगाई गई पूंजी तक ही सीमित होती है एकल स्वामित्व व साझेदारी फर्म के विपरीत सहकारी समितियों के सदस्यों की व्यक्तिगत संपत्ति पर व्यवसायिक देनदारियों का जोखिम नहीं होती है
4. **स्थाई अस्तित्व :** सहकारी समिति का कार्यालय स्थिर होता है किसी सदस्य की मृत्यु, दिवालिया, पागल या सदस्यता से त्यागपत्र देने की दशा में भी समिति के अस्तित्व पर कोई अंतर नहीं पड़ता है
5. **लोकतांत्रिक संचालन :** सहकारी समिति का संचालन लोकतांत्रिक तरीके से होता है इसका प्रबंध लोकतांत्रिक होता है एक व्यक्ति का एकमत वाली विचारधारा पर आधारित होता है

सहकारी समिति की सीमाएं

1. **अभिप्रेरणा की कमी :** सर सहकारी समिति का उद्देश्य लाभ कमाना ना हो पर सेवा कार्य होता है इसके कारण सदस्य अति उत्साह व संपूर्ण भाव से कार्य नहीं कर पाते
2. **सिमित पूंजी :** सहकारी समिति के सदस्यों के संगठन में समाज के एक विशेष वर्ग के व्यक्ति ही होते हैं इसलिए उनके द्वारा लगाई गई पूंजी भी सीमित होती है
3. **प्रबंध संबंधित समस्याएं :** सहकारी समितियों अपने कर्मचारियों को कम वेतन देती हैं क्योंकि उनके पास पूंजी की सीमित मात्रा होती है जिसके कारण संगठन को प्रबंध संबंधित समस्याएं आती हैं
4. **आपसी सामंजस की कमी :** सहकारी समितियां आपसी सामंजस की भावना से बनाई जाती है लेकिन समय के साथ परिस्थितियां बदलती हैं परिणाम संगठन में सदस्यों के बीच मध्य मतभेद, अहंकार, लड़ाई-झगड़ा, तनाव बना रहता है सदस्यों के इस रवैया के चलते भी संगठन बंद हो जाते हैं

SHIVOM CLASSES 8696608541

SHIVOM CLASSES - WhatsApp for Notes (8696608541)

5. सहकारी समिति : सहकारी संगठन में किसी भी सदस्य को किसी भी कार्य के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता सहकारी समिति की सफलता उसके सदस्यों की निष्ठा व कार्यशैली पर निर्भर करती है

5. संयुक्त पूंजी कंपनी

संयुक्त पूंजी कंपनी का अर्थ

कम्पनी व्यक्तियों का एक समूह है । इसका अस्तित्व अपने सदस्यों से अलग होता है । कई लोग मिलकर कम्पनी पूंजी लगाते हैं, इस कारण इसे संयुक्त पूंजी कम्पनी कहते है । अतः ऐसे व्यक्तियों (सदस्यों) का संगठन होता है जो लाभ कमाने के लिए विभिन्न मान के अंशों के रूप में व्यवसाय में पूंजी लगाते हैं ।

ऐसे व्यक्तियों को अंशधारी कहते हैं । इसके संचालन के लिए एक मण्डल होता है, जिसे निदेशक मण्डल कहते है । इनका चुनाव अंशधारियों द्वारा किया जाता है । प्रबन्ध के लिये आवश्यक सभी अधिकार निदेशक मण्डल को मिले होते हैं । इसमें सदस्यों के परिमित दायित्व होते है । यद्यपि यह कोई निकाय नहीं है, फिर भी इसको कानूनी माना जाता है।

यह कम्पनी दो प्रकार की होती है:

SHIVOM CLASSES 8696608541

SHIVOM CLASSES - WhatsApp for Notes (8696608541)

1. निजी सीमित कम्पनी:

इस प्रकार की कम्पनी दो या अधिक सदस्यों द्वारा बनाई जा सकती है । इसमें अधिकतम 50 सदस्य हो सकते हैं । ये सभी अंशधारी कहलाते हैं । साधारणतया यह रिश्तेदारों या मित्रों को मिलाकर बनाई जाती है । इसमें अंश सिर्फ सदस्यों को ही हस्तांतरित किये जा सकते हैं । इस प्रकार की कम्पनी को प्रविवरण तथा अन्य विवरण प्रकाशित करने की आवश्यकता नहीं है ।

प्रत्येक सदस्य स्थिति विवरण व अंकेक्षण रिपोर्ट की प्रतिलिपि प्राप्त करने का हकदार होता है । इस प्रकार की कम्पनी में ऐसे व्यक्ति जो परिमित दायित्व के लाभ के साथ-साथ जहां तक संभव हो व्यवसाय को निजी रखना चाहते हैं, पूंजी लगा सकते हैं । प्राइवेट कम्पनी के नाम के साथ 'प्राइवेट' शब्द का लगाना कानूनी रूप से आवश्यक है ।

2. सार्वजनिक सीमित कम्पनी:

भारतीय कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 3 (i) व (iv) के अनुसार, 'सार्वजनिक कम्पनी का आशय एक ऐसी कम्पनी से है,जो निजी कम्पनी नहीं है ।' दूसरे शब्दों में, एक सार्वजनिक कम्पनी न तो अंशों के हस्तान्तरण पर रोक लगाती है और न सदस्यों की संख्या पर । सार्वजनिक कम्पनी अपनी पूंजी अंशों एवं ऋण-पत्रों को जनता में बेचकर इकट्ठा कर सकती है ।

इसकी सदस्यता देश के सभी व्यक्तियों के लिये खुली है । इसमें सदस्यों की न्यूनतम संख्या 7 है व अधिकतम संख्या के लिये कोई सीमा नहीं है । प्रत्येक सदस्य अंशधारी कहलाता है । इस प्रकार की कम्पनी प्रारम्भ करने के लिये प्रविवरण व अन्य विवरण प्रकाशित करना होता है ।

SHIVOM CLASSES 8696608541

SHIVOM CLASSES - WhatsApp for Notes (8696608541)

इस प्रकार की कम्पनी पर सरकार का अधिक नियंत्रण होता है, ताकि अंशधारियों के हितों की रक्षा की जा सके । अंशों का हस्तान्तरण भागों में या पूर्ण रूप से किया जा सकता है, इसके लिये अग्रिम स्वीकृति आदि की आवश्यकता नहीं होती ।

कम्पनी का कार्य देखने के लिये निदेशक मण्डल का चुनाव सभी सदस्यों द्वारा मिलकर किया जाता है । निदेशक मण्डल में सदस्य संख्या 7 तक होती है । प्रत्येक अंशधारी को वर्ष में एक बार बेलेन्स शीट व अंकेक्षण रिपोर्ट प्राप्त करने का हक होता है ।

संयुक्त पूंजी कम्पनी के लिए पूंजी के स्रोत

व्यवसाय को प्रारम्भ करने, चालू रखने, बढाने, परिवर्तन करने तथा पुन: स्थापन के लिये पूंजी की आवश्यकता होती है ।

संयुक्त पूंजी कम्पनी के लिए पूंजी के स्रोत निम्न हैं:

1. अंशों द्वारा

2. डिबेन्चर्स द्वारा यह ऋण बतौर है, सिर्फ ब्याज देना पडता है ।

3. बैंकों से ऋण

4. निम्न सरकारी संस्थाओं से ऋण लेकर:

(i) औद्योगिक निगम

(ii) राज्य वित्त निगम

(iii) औद्योगिक बिकास बैंक

संयुक्त पूंजी कम्पनी के लाभ (Advantages of Joint Stock Company):

1. अंशधारियों का दायित्व प्रत्यक्ष मूल्य तक ही सीमित रहता है ।

2. इससे अधिक लोग धन लगाने को प्रेरित रहते है, अतः आधुनिक उद्योग चलाने के लिए अधिक पूंजी संप्रहित की जा सकती है ।

SHIVOM CLASSES 8696608541

SHIVOM CLASSES - WhatsApp for Notes (8696608541)

3. यह कानूनी बंधनों के अन्तर्गत आती है इसलिए जनता का पूरा विश्वास रहता है ।

4. अधिक सदस्य होने से हानि का खतरा बंट जाता है, अतः साधारण व्यक्ति भी बिना किसी झिझक के पूंजी लगा सकता है ।

5. इसमें कार्य का विभाजन विभिन्न समुदाय के व्यक्तियों में किया जा सकता है, अतः कार्य सरल व अच्छा होता है ।

6. इसमें उच्च अधिकारियों को अच्छा वेतन देकर उनसे दक्षतापूर्वक कार्य करवाया जा सकता है इस कारण प्रशासन अच्छा रहता है ।

7. किसी भी अंशधारी के अलग हो जाने या मृत्यु हो जाने पर व्यवसाय पर कोई प्रभाव नहीं पडता, अतः अस्तित्व निरन्तर बना रहता है ।

8. कम्पनी बड़ी हो जाने के कारण अधिक लोगों को रोजगार देती है ।

संयुक्त पूंजी कम्पनी की हानियां

1. वेतन भोगी प्रबंधकों की रुचि कम रहने पर दक्षता कम हो बातों है तथा घाटा हो सकता है ।

2. इस प्रकार के संगठनों के निदेशक तथा प्रबन्ध के अन्य सदस्यों के व्यक्तिगत लाभ के अधिक अवसर रहते हैं, क्योंकि वे कम्पनी की आर्थिक स्थिति से वाकिफ रहते है तथा उसके अनुसार अंश खरीद व बेच सकते है ।

3. इस प्रकार की कम्पनी में देश के विचित्र भागों के व्यक्ति अंशधारी होते है । लेकिन शायद ही कभी सामान्य बैठक में भाग से पाते हैं । अतः अधिकतर अंशधारियों का वास्तविक प्रबन्ध पर बहुत कम नियन्त्रण रहता है । इस कारण निदेशक मण्डल के सदस्य अपनी मनमानी करने लगते है ।

4. कम्पनी को बनाने के लिये कई तरह के विवरण तैयार करने पडते हैं । यह महंगा भी पडता है तथा इसमें समय भी काफी व्यर्थ जाता है।

साझेदारी और कंपनी के बीच

SHIVOM CLASSES 8696608541

SHIVOM CLASSES - WhatsApp for Notes (8696608541)

02 व्यावसायिक संगठन के स्वरुप

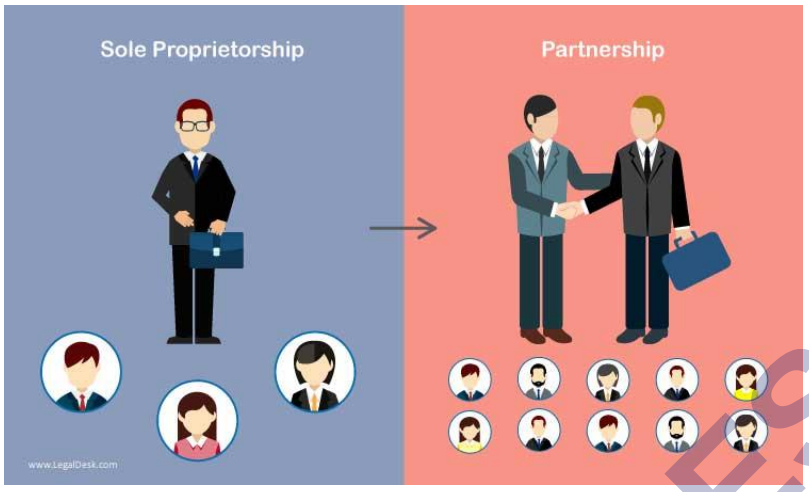

मतभेद के बिंदु	एकल स्वामित्व	साझेदारी
अर्थ	जिस व्यवसाय का स्वामित्व और प्रबंधन किसी एक व्यक्ति द्वारा किया जाता है, उसे एकल स्वामित्व कहा जाता है।	साझेदारी का अर्थ दो या दो से अधिक व्यक्तियों का संघ है जो संयुक्त रूप से लाभ कमाने के उद्देश्य से व्यवसाय चलाते हैं
गठन	एकमात्र स्वामित्व बनाना बहुत आसान है और बहुत कम कानूनी औपचारिकताएं हैं।	साझेदारी सभी भागीदारों के बीच समझौते से बनती है।
देयता	एकमात्र स्वामित्व के तहत देयता असीमित है और मालिक वह व्यक्ति है जो अकेले सभी ऋणों का प्रबंधन और भुगतान करता है।	साझेदारी के तहत भागीदारों की देयता असीमित है।
प्रबंध	सभी व्यवसाय संचालन स्वामी द्वारा प्रबंधित किए जाते हैं और स्वामी व्यवसाय के सभी प्रमुख निर्णय लेता है।	सभी व्यवसाय संचालन स्वामी द्वारा प्रबंधित किए जाते हैं और स्वामी व्यवसाय के सभी प्रमुख निर्णय लेता है।
निरंतरता	एकमात्र स्वामित्व मालिक के बिना मौजूद नहीं हो सकता।	एकल स्वामित्व की तुलना में एक साझेदारी फर्म अधिक स्थिर होती है। इस प्रकार का व्यवसाय किसी भी भागीदार की मृत्यु के बाद भी अन्य भागीदारों द्वारा चलाया जा सकता है।
फायदा	सारा लाभ व्यवसाय के स्वामी के हाथ में है।	एक साझेदारी फर्म में, समझौते या साझेदारी विलेख के अनुसार भागीदारों के बीच लाभ का वितरण किया जाता है।

SHIVOM CLASSES 8696608541

SHIVOM CLASSES - WhatsApp for Notes (8696608541)

NCERT SOLUTIONS

प्रश्न (पृष्ठ संख्या 64-65)

लघु उत्तर प्रश्न:

प्रश्न 1 संयुक्त हिन्दू परिवार व्यवसाय में नाबालिग की स्थिति की साझेदारी फर्म में उसकी स्थिति से तुलना कीजिए।

उत्तर- संयुक्त हिन्दू परिवार व्यवसाय में किसी भी व्यक्ति का प्रवेश संयुक्त हिन्दू परिवार में जन्म लेने के साथ ही हो जाता है। इसीलिए ऐसे परिवार वाले व्यवसाय में नाबालिग भी जन्म से ही सदस्य होता है। उसकी स्थिति सह समांशी की होती है तथा जोखिम स्पष्ट एवं निश्चित होती है। परन्तु साझेदारी चूँकि दो लोगों के बीच कानूनी अनुबन्ध पर आधारित होती है वे लाभ-हानि को बाँटने का समझौता करते हैं। चूंकि एक नाबालिग कानूनन किसी के साथ वैध अनुबन्ध नहीं कर सकता है, इसलिए वह किसी फर्म में साझेदार नहीं बन सकता है। फिर भी साझेदारी फर्म में सभी साझेदार चाहें तो वे सर्वसम्मति से नाबालिग को फर्म के लाभों में भागीदार बना सकते हैं। ऐसी स्थिति में उसका दायित्व फर्म में लगायी गई उसकी पूँजी तक ही सीमित रहेगा।

प्रश्न 2 यदि पंजीयन ऐच्छिक है तो साझेदारी फर्म स्वयं को पंजीकृत कराने के लिए वैधानिक औपचारिकताओं को पूरा करने के लिए क्यों इच्छुक रहती है? समझाइए।

उत्तर- भारतीय साझेदारी अधिनियम के अनुसार साझेदारी फर्म का पंजीयन कराना अनिवार्य नहीं होकर ऐच्छिक होता है। अतः फर्म का चाहें तो पंजीयन करवाया जा सकता है और चाहें तो नहीं भी। किन्तु फर्म का पंजीयन नहीं कराने की स्थिति में फर्म का साझेदार अपनी फर्म अथवा अन्य साझेदारों के विरुद्ध मुकदमा दायर नहीं कर सकता है। फर्म भी अन्य पक्षों के विरुद्ध मुकदमा नहीं चला सकती है। इसके साथ ही यह साझेदारों के विरुद्ध मुकदमा नहीं चला सकती है। यही कारण है कि इन कमियों को दूर करने के लिए साझेदारी फर्म अपना पंजीकरण कराने के लिए इच्छुक रहती है।

प्रश्न 3 एक निजी कम्पनी को उपलब्ध महत्त्वपूर्ण सुविधाओं को बताइए।

उत्तर- एक निजी कम्पनी को उपलब्ध महत्त्वपूर्ण सुविधाएँ-

SHIVOM CLASSES 8696608541

SHIVOM CLASSES - WhatsApp for Notes (8696608541)

- एक निजी कम्पनी का निर्माण केवल दो सदस्यों द्वारा किया जा सकता है।
- निजी कम्पनी को प्रविवरण जारी करने की आवश्यकता नहीं होती है क्योंकि वह अपने अंशों के अभिदान के लिए जनता को आमन्त्रित नहीं कर सकती है।
- एक निजी कम्पनी न्यूनतम अभिदान की राशि प्राप्त किये बिना ही अंशों का आबंटन कर सकती है।
- एक निजी कम्पनी समामेलन का प्रमाण-पत्र प्राप्त करने के साथ ही अपना व्यवसाय प्रारम्भ कर सकती है। उसके लिए कम्पनी रजिस्ट्रार से व्यापार प्रारम्भ करने का प्रमाण-पत्र लेने की आवश्यकता नहीं होती है।
- एक निजी कम्पनी में कम-से-कम दो निदेशक (संचालक) होना पर्याप्त माना जाता है।
- एक निजी कम्पनी को अपने सदस्यों की अनुक्रमणिका रखने की आवश्यकता नहीं होती है।
- एक निजी कम्पनी में निदेशकों को ऋण देने पर किसी प्रकार का कोई प्रतिबन्ध नहीं रहता है।

प्रश्न 4 सहकारी समिति किस प्रकार जनतान्त्रिक एवं धर्म-निरपेक्षता का आदर्श प्रस्तुत करती है?

उत्तर- एक सहकारी समिति का प्रबन्ध उसके सदस्यों द्वारा अपने में से निर्वाचित प्रबन्ध समिति द्वारा किया जाता है। समिति के प्रबन्ध में सभी सदस्यों का समान अधिकार होता है। प्रत्येक सदस्य केवल एक ह उसके पास समिति के कितने ही अंश क्यों न हों। अतः सहकारी समिति में एक व्यक्ति एक मत' के सिद्धान्त का पालन किया जाता है। इस प्रकार सहकारी समिति जनतन्त्र का आदर्श प्रस्तुत करती है।

सहकारी समिति में सदस्यता अनिवार्य नहीं होती है। कोई भी व्यक्ति अपनी इच्छा से सदस्य बन सकता है या सदस्यता छोड़ सकता है। कोई भी व्यक्ति चाहे वह अमीर हो या गरीब, किसी भी जाति, धर्म, रंग, प्रान्त का ही क्यों न हो, समिति का सदस्य बन सकता है। इस प्रकार सहकारी समिति में सदस्यों में किसी भी प्रकार का भेद-भाव नहीं किया जाता है और न ही किसी सदस्य को विशेषाधिकार दिया जाता है। इसीलिए यह कहा जाता है कि सहकारी समितियाँ धर्म-निरपेक्षता का आदर्श प्रस्तुत करती हैं।

प्रश्न 5 'प्रदर्शन द्वारा साझेदार' का क्या अर्थ है? समझाइए।

SHIVOM CLASSES 8696608541

SHIVOM CLASSES - WhatsApp for Notes (8696608541)

उत्तर- **प्रदर्शन द्वारा साझेदार-** जब कोई व्यक्ति आम जनता में यह प्रचार करे कि वह साझेदारी फर्म का साझेदार है, परन्तु वास्तव में वह ऐसा नहीं हो तो वह प्रदर्शन द्वारा साझेदार कहलाता है। ऐसा साझेदार फर्म के ऋणों के भुगतान के लिए उत्तरदायी होता है क्योंकि अन्य व्यक्तियों या पक्षों की दृष्टि में वह साझेदार भी होता है। यदि ऐसा साझेदार अपने उत्तरदायित्व से मुक्त होना चाहता है तो उसे तुरन्त अपनी स्थिति स्पष्ट कर यह बताना होगा कि वह साझेदार नहीं है। यदि वह ऐसा नहीं करता है तो वह इस आधार पर हुई किसी भी प्रकार की हानि के लिए तीसरे पक्ष के प्रति उत्तरदायी होगा।

प्रश्न 6. 50 शब्दों में संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए-

i. कर्ता
ii. सार्वमुद्रा
iii. कृत्रिम व्यक्ति
iv. शाश्वत उत्तराधिकार।

उत्तर-

i. **कर्ता-** संयक्त हिन्द परिवार में व्यवसाय का प्रबन्ध एवं संचालन परिवार के मखिया द्वारा किया जाता है। यह मुखिया ही कर्ता कहलाता है। यही परिवार के व्यवसाय का सर्वेसर्वा होता है। परिवार के अन्य सदस्यों को मुखिया की अनुमति के बिना व्यवसाय में हस्तक्षेप करने तथा कोई अनुबन्ध या समझौता करने का अधिकार नहीं होता है।
ii. **सार्वमुद्रा-** एक कम्पनी की सार्वमुद्रा हो भी सकती है और नहीं भी। इस पर कम्पनी का नाम लिखा होता है जो कम्पनी के हस्ताक्षर का कार्य करती है। यदि कम्पनी की सार्वमुद्रा है तो वह कम्पनी के प्रपत्रों पर अनिवार्य रूप से लगी होनी चाहिए। यदि कम्पनी की सार्वमुद्रा न हो तो प्रपत्रों पर हस्ताक्षर करने वाला व्यक्ति संचालक मण्डल के संकल्प से प्राधिकृत होना चाहिए।
iii. **कृत्रिम व्यक्ति-** कम्पनी का जन्म कम्पनी कानून द्वारा होता है, प्राकृतिक व्यक्ति की तरह नहीं। यह प्राकृतिक व्यक्ति की तरह सांस नहीं ले सकती, खा नहीं सकती, दौड़ नहीं सकती, बात नहीं कर सकती तथा स्वयं के हस्ताक्षर नहीं कर सकती है। इसीलिए इसे एक कृत्रिम

SHIVOM CLASSES 8696608541

SHIVOM CLASSES - WhatsApp for Notes (8696608541)

व्यक्ति माना जाता है। लेकिन यह एक प्राकृतिक व्यक्ति की तरह अपनी सम्पत्ति रख सकती है, ऋण व उधार ले सकती है, अनुबन्ध कर सकती है, दूसरों पर मुकदमा कर सकती है, दूसरे इस पर मुकदमा कर सकते हैं।

iv. **शाश्वत उत्तराधिकार-** कम्पनी का निर्माण एवं समापन कम्पनी कानून द्वारा ही होता है। कम्पनी का अस्तित्व पृथक् होने के कारण इसके सदस्यों की मृत्यु होने, पागल या दिवालिया होने आदि का इसके अस्तित्व पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। यहाँ तक कि कम्पनी के सभी सदस्यों की मृत्यु होने पर भी इसका अस्तित्व समाप्त नहीं होता है। कम्पनी के सदस्यों का कम्पनी में आने-जाने पर भी इसका अस्तित्व बना रहता है। अतः कम्पनी को शाश्वत उत्तराधिकार प्राप्त है।

दीर्घ उत्तरात्मक प्रश्न-

प्रश्न 1 एकल स्वामित्व फर्म से आप क्या समझते हैं? इसके गुणों एवं सीमाओं को समझाइए।

उत्तर- **एकल स्वामित्व का अर्थ-** एकल स्वामित्व वाला व्यापार उस व्यवसाय को कहते हैं जिसका स्वामित्व, प्रबन्धन एवं नियन्त्रण एक ही व्यक्ति के हाथों में होता है तथा वही सम्पूर्ण लाभ पाने का अधिकारी तथा हानि के लिए उत्तरदायी होता है। व्यावसायिक स्वामित्व का यह स्वरूप विशेषकर उन क्षेत्रों में प्रचलन में है जिनमें व्यक्तिगत सेवाएँ प्रदान की जाती हैं। जैसे-ब्यूटी पार्लर, नाई की दुकान तथा फुटकर व्यापार की दुकान चलाना।

गुण या लाभ-एकाकी स्वामित्व के प्रमुख गुण या लाभ निम्न प्रकार हैं-

1. **शीघ्र निर्णय-** एकल स्वामी को व्यवसाय से सम्बन्धित निर्णय लेने की बहुत अधिक स्वतन्त्रता होती है क्योंकि उसे किसी दूसरे से सलाह लेने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए वह शीघ्र निर्णय लेकर व्यावसायिक सुअवसरों का लाभ उठा सकता है।
2. **गोपनीयता-** एकल स्वामी व्यवसाय में अकेले ही निर्णय लेने का अधिकार रखता है। इसलिए वह व्यापार संचालन के सम्बन्ध में सूचनाओं को गुप्त रख सकता है तथा गोपनीयता बनाये रख सकता है।

SHIVOM CLASSES 8696608541

SHIVOM CLASSES - WhatsApp for Notes (8696608541)

3. **प्रत्यक्ष प्रोत्साहन-** एकल स्वामी चूँकि अकेला ही स्वामी होता है इसलिए उसे लाभ में किसी के साथ हिस्सा बँटाने की आवश्यकता नहीं है। इससे उसे कठिन परिश्रम करने के लिए अधिकतम प्रोत्साहन मिलता है।
4. **उपलब्धि का एहसास-** एकल स्वामित्व में व्यवसायी द्वारा अपने स्वयं के लिए काम करने से व्यक्तिगत सन्तुष्टि प्राप्त होती है। इस बात का एहसास कि वह स्वयं ही अपने व्यवसाय की सफलता के लिए उत्तरदायी है, न केवल उसे आत्म-सन्तोष प्रदान करता है वरन् स्वयं की योग्यता एवं क्षमता में विश्वास की भावना भी पैदा करता है।
5. **सरल प्रारम्भ एवं अन्त-** एकल व्यापार प्रारम्भ करने में एवं बंद करने में किसी प्रकार की कोई वैधानिक कार्यवाही नहीं करनी पड़ती है। बड़ी सुगमता से एकल व्यापार शुरू किया जा सकता है और सरलता से चलाया जा सकता है और बंद भी किया जा सकता है।
6. **मितव्ययिता-** एकल व्यापारी स्वयं ही अपने व्यापार की देखभाल करता है, स्वयं ही सारे प्रबन्धकीय कार्यों का निष्पादन करता है तथा स्वयं ही सारी नीतियों को निर्धारित करता है। वह अपने धन को अधिक से अधिक उपयोगी एवं लाभप्रद कार्यों में लगाता है। फलतः एकल व्यापार में मितव्ययिता अधिक होती है।
7. **व्यक्तिगत सम्पर्क-** एकाकी व्यापारी उपभोक्ता से प्रत्यक्ष सम्पर्क स्थापित कर अपने व्यक्तित्व व प्रभाव से उन्हें अपनी ओर आकर्षित कर सकता है। वह उपभोक्ताओं को उनकी व्यक्तिगत रुचि के अनुसार उनकी आवश्यकताओं को पूरा कर लाभ उठा सकता है।
8. **पूर्ण नियन्त्रण-** एकल व्यापार में स्वामी को व्यापार के प्रबन्ध की पूर्ण स्वतन्त्रता होती है। अतः वह अपनी इच्छानुसार इसका नियोजन एवं नियन्त्रण कर सकता है। इस प्रकार उसका व्यापार पर पूर्ण नियन्त्रण बना रहता है।
9. **सतर्कता-** व्यापार का पूर्ण भार अकेले व्यापारी पर ही होता है अतः वह बड़ी सतर्कता से व्यापार का संचालन करता है।
10. **आत्मविश्वास-** एकल व्यापारी अपने समस्त कार्यों की देखरेख स्वयं ही करता है। अतः उसमें आत्मविश्वास की भावना का जागृत होना स्वाभाविक है।

सीमाएँ- एकल स्वामित्व में उपर्युक्त लाभों या गुणों के होते हुए भी निम्नलिखित कुछ सीमाएँ भी हैं-

SHIVOM CLASSES - WhatsApp for Notes (8696608541)

1. **सीमित संसाधन-** एक एकाकी स्वामी के संसाधन उसकी व्यक्तिगत बचत एवं दूसरों से ऋण लेने तक ही सीमित रहते हैं। फलत: व्यापार का आकार सामान्यतः छोटा ही रहता है तथा उसके विस्तार की सम्भावना भी कम होती है।
2. **सीमित जीवनकाल-** एकल स्वामित्व में कानून की दृष्टि में स्वामी एवं स्वामित्व दोनों ही एक माने जाते हैं। स्वामी की मृत्यु, बीमारी तथा दिवालिया होने से व्यवसाय प्रभावित होता है। इस प्रकार एकाकी स्वामित्व वाले व्यापार का जीवनकाल सीमित ही होता है।
3. असीमित दायित्व-एकल स्वामित्व वाले व्यापार में असीमित उत्तरदायित्व होने के कारण व्यापारी ऐसे कार्य नहीं कर सकता, जिनमें अधिक जोखिम होती है। व्यवसाय के असफल होने की स्थिति में या व्यवसाय हानि में संचालित होता है तो व्यवसायी को सारे दायित्व व ऋणों का निपटारा स्वयं को ही करना पड़ता है।
4. सीमित प्रबन्ध योग्यता-एकाकी व्यापार के स्वामी पर प्रबन्ध से सम्बन्धित कई उत्तरदायित्व रहते हैं। शायद ही कोई व्यक्ति ऐसा हो जो सभी क्षेत्रों में सर्वगुण- सम्पन्न हो। उसमें सीमित प्रबन्ध योग्यता होती है। संसाधनों के अभाव में भी वे योग्य, अनुभवी एवं महत्त्वाकांक्षी कर्मचारियों को न तो भर्ती कर सकते हैं और न ही उन्हें रोके रख सकते हैं।
5. हानि का भार-एकल व्यापारी को अपने व्यापार की सम्पूर्ण हानि का भार स्वयं ही वहन करना होता है क्योंकि वह अकेला ही व्यापार का स्वामी होता है। अतः अधिक हानि होने पर उसका व्यवसाय समाप्त भी हो सकता है।
6. जल्दबाजीपूर्ण निर्णय-एकल व्यापारी अपने व्यापार सम्बन्धी निर्णय करने में पूर्णतया स्वतन्त्र होता है। इसलिए वह कभी-कभी जल्दीबाजी में ऐसे निर्णय ले लेता है जो उसके लिए हानिकारक सिद्ध हो जाते हैं।
7. सीमित ख्याति-एकाकी व्यापार में अकेला व्यक्ति स्वामी होता है अतः व्यवसाय की ख्याति भी सीमित ही होती है।

प्रश्न 2 साझेदारी के विभिन्न प्रकारों में व्यावसायिक स्वामित्व तुलनात्मक रूप से लोकप्रिय क्यों नहीं है? इसके गुणों एवं सीमाओं को समझाइए।

SHIVOM CLASSES 8696608541

SHIVOM CLASSES - WhatsApp for Notes (8696608541)

उत्तर- **साझेदारी-** साझेदारी उन व्यक्तियों के पारस्परिक सम्बन्ध को कहते हैं जो ऐसे कारोबार (व्यापार) के लाभ को आपस में बाँटने के लिए सहमत हुए हों, जिसे उन सबके द्वारा अथवा उन सबकी ओर से किसी व्यक्ति द्वारा चलाया जाता हो।

एकल स्वामित्व में निहित दोषों के कारण एवं विकल्प के रूप में साझेदारी स्वरूप का जन्म हुआ। साझेदारी संगठन के अनेक गुण या लाभ होने के कारण कई व्यक्ति साझेदारी संगठन स्वरूप को अपनाना पसन्द करते हैं।

साझेदारी के गुण-साझेदारी संगठन के कुछ प्रमुख गुण या लाभ निम्नलिखित हैं-

1. **सरल स्थापना एवं अन्त-** साझेदारी व्यापार को सरलता से स्थापित किया जा सकता है। इस व्यवसाय को स्थापित करने के लिए कुछ अधिक खर्च नहीं करना पड़ता और न ही विशेष कानूनी औपचारिकताओं को पूरा करना होता है। साझेदारी फर्म का पंजीकरण अनिवार्य नहीं होता है अतः बन्द करना भी आसान होता है।
2. **अधिक पूँजी-** साझेदारी स्वरूप में एकल स्वामित्व की तुलना में अधिक पूँजी जुटायी जा सकती है। क्योंकि फर्म के सभी साझेदार इसमें पूँजी लगाते हैं। इसमें ऋण इत्यादि भी अधिक आसानी से प्राप्त किये जा सकते हैं।
3. **जोखिम का विभाजन-** साझेदारी फर्म को चलाने में निहित जोखिम को सभी साझेदार बाँट लेते हैं। इससे किसी एक साझेदार पर पड़ने वाला आर्थिक बोझ कम हो जाता है और वह तनाव व दबाव-मुक्त रह सकता है।
4. **गोपनीयता-** साझेदारी संगठन में फर्म के लिए अपने खातों को प्रकाशित करना एवं ब्यौरा देना कानूनी रूप से आवश्यक नहीं होता है। इसलिए वह अपने व्यावसायिक कार्यों के सम्बन्ध में सूचना को गुप्त रख सकते हैं।
5. **सन्तुलित निर्णय-** साझेदारी संगठन में लिये जाने वाले निर्णय सन्तलित होते हैं। क्योंकि प्रत्येक साझेदार विशिष्टता लिये हुए होता है। अतः वे मिलकर सन्तुलित निर्णय ले सकते हैं।
6. **प्रबन्ध में मितव्ययिता-** व्यवसाय के अन्य प्रारूपों की अपेक्षा साझेदारी संगठन के व्यवसाय में सम्पूर्ण व्यवस्था अपेक्षाकृत कम खर्च में ही सम्पन्न हो जाती है। प्रबन्ध व्यवस्था चूँकि

SHIVOM CLASSES 8696608541

SHIVOM CLASSES - WhatsApp for Notes (8696608541)

प्रायः साझेदार स्वयं ही करते हैं, इस कारण पेशेवर प्रबन्धक को दी जाने वाली एक बड़ी धन-राशि को बचाया जा सकता है।

7. **आवश्यकतानुसार व्यवसाय में परिवर्तन-** साझेदारी प्रारूप में एक गुण यह भी है कि इसके माध्यम से किये जाने वाले व्यवसाय को समय, परिस्थिति व आवश्यकतानुसार परिवर्तित किया जा सकता है।
8. **आपसी सहयोग की भावना को बल-** साझेदारों द्वारा मिलकर कार्य करने की प्रवृत्ति के कारण आपसी सहयोग व प्रेम, आत्मीयता की भावना का विकास होता है।
9. **कार्य के प्रति प्रत्यक्ष प्रेरणा-** साझेदारी में साझेदारों को यह स्पष्ट रूप से पता रहता है कि जो लाभ होगा वह उन्हें ही मिलेगा और यदि हानि होती है तो हानि को भी उन्हें ही वहन करना होगा। इसलिए वे अधिक सावधानी से तथा मन लगाकर कार्य करते हैं।
10. **सम्बन्ध-विच्छेद करना सरल-** साझेदारी फर्म में प्रत्येक साझेदार को साझेदारी से सम्बन्ध विच्छेद करने में पूर्ण स्वतन्त्रता होती है। यदि कोई साझेदार किसी कारण से दोषी हो तो अन्य साझेदार भी उसे फर्म से आसानी से अलग कर सकते हैं।

साझेदारी के दोष/सीमाएँ-उपर्युक्त सब लाभों के बावजूद भी साझेदारी संगठन प्रारूप को अनेक लोग अन्य व्यावसायिक संगठनों की तुलना में कम पसन्द करते हैं क्योंकि-

1. **सीमित साधन-** साझेदारी संगठन में साझेदारों की संख्या सीमित होती है। इसलिए बड़े पैमाने के व्यावसायिक कार्यों के लिए तथा बढ़ते हुए व्यवसाय के लिए उनके द्वारा लगायी गई पूँजी अपर्याप्त ही रहती है।
2. **असीमित दायित्व-** साझेदारी फर्म में प्रत्येक साझेदार का दायित्व असीमित ही रहता है। फर्म का प्रत्येक साझेदार व्यापार का प्रतिनिधि एवं स्वामी दोनों ही होता है। एक साझेदार द्वारा व्यापार संचालन में किये गये सम्पूर्ण कार्यों के लिए साझेदार सामूहिक एवं व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होते हैं।
3. **परस्पर विवाद की सम्भावना-** साझेदारी का संचालन सब साझेदार मिलकर करते हैं। निर्णय सर्वसम्मति से लिये जाते हैं। कुछ मामलों में यदि मतभेद है तो इससे साझेदारों के बीच विवाद पैदा हो सकता है।

SHIVOM CLASSES 8696608541

SHIVOM CLASSES - WhatsApp for Notes (8696608541)

4. **स्थायित्व एवं निरन्तरता का अभाव-** किसी भी साझेदार की मृत्यु, अवकाश ग्रहण करने, दिवालिया होने अथवा पागल होने से साझेदारी समाप्त हो जाती है। इसे सभी की सहमति से कभी भी समाप्त किया जा सकता है। फलतः इसमें स्थिरता एवं निरन्तरता का अभाव रहता है।
5. **जनसाधारण के विश्वास में कमी-** साझेदारी संगठन में फर्म की वित्तीय नाओं एवं अन्य सम्बन्धित जानकारियों का प्रकाशन करना कानूनी रूप से अनिवार्य नहीं है, इसलिए जन-साधारण को फर्म की वित्तीय स्थिति की सही जानकारी नहीं हो पाती। इससे जनता का फर्म के प्रति विश्वास कम ही रहता है।
6. **निर्णय में देरी-** साझेदारी व्यापार में महत्त्वपूर्ण निर्णयों को सर्वसम्मति से लिये जाने की दशा में कई बार निर्णय लेने में देरी हो जाती है। इससे कई बार व्यवसाय में आने वाले अच्छे अवसर हाथ से निकल जाते हैं।
7. **हित-** हस्तान्तरण पर रोक-साझेदारी फर्म का कोई भी साझेदार फर्म में अपने हित (हिस्से) को बिना अन्य साझेदारों की सहमति के किसी अन्य व्यक्ति के नाम हस्तान्तरित नहीं कर सकता है।

प्रश्न 3 एक उपयुक्त संगठन का स्वरूप चुनना क्यों महत्त्वपूर्ण है? उन घटकों का विवेचन कीजिए जो संगठन के किसी खास स्वरूप के चुनाव में सहायक होते हैं।

उत्तर- व्यावसायिक संगठन के विभिन्न स्वरूप हैं। प्रत्येक स्वरूप के अपने-अपने लाभ-दोष हैं। कोई भी स्वरूप ऐसा नहीं है जो निर्विवाद हो । व्यवसायी के द्वारा यदि व्यावसायिक स्वामित्व के गलत स्वरूप का चुनाव कर लिया जाता है तो वह अत्यन्त घातक सिद्ध हो सकता है, यहाँ तक कि उसका और उसके व्यवसाय का अस्तित्व ही समाप्त हो सकता है। इसीलिये व्यवसायी के लिए यह आवश्यक हो जाता है कि वह अपने व्यावसायिक स्वामित्वं के उपयुक्त प्रारूप का चुनाव करे। लेकिन उचित स्वरूप का चयन कई महत्त्वपूर्ण घटकों पर निर्भर करता है। एक व्यवसायी को निम्नलिखित महत्त्वपूर्ण घटकों को ध्यान में रखकर अपने व्यावसायिक स्वामित्व के प्रारूप का चयन करना चाहिए-

SHIVOM CLASSES 8696608541

SHIVOM CLASSES - WhatsApp for Notes (8696608541)

1. **प्रारम्भिक लागत-** व्यावसायिक संगठन का चुनाव करते समय सर्वप्रथम उसको शुरू करने में आने वाली प्रारम्भिक लागत पर ध्यान दिया जाना चाहिए। जिन व्यवसायों में कम प्रारम्भिक लागत आती हो उनके लिए एकल स्वामित्व तथा साझेदारी स्वरूप लोकप्रिय है। थोड़ी अधिक पूँजी की आवश्यकता वाले व्यवसाय के लिए निजी कम्पनी प्रारूप उपयुक्त हो सकता है। किन्तु जिन व्यवसायों में बड़े पैमाने पर प्रारम्भिक लागत चाहिए व अधिक पूँजी की आवश्यकता हो उनके लिए सार्वजनिक कम्पनी प्रारूप उपयुक्त माना जा सकता है।
2. **दायित्व-** व्यावसायिक संगठन के स्वरूप का चुनाव करते समय यह भी ध्यान में रखा जाना चाहिए कि उसमें सदस्यों का दायित्व किस प्रकार का रहेगा। एकल स्वामित्व व साझेदारी में स्वामियों का दायित्व असीमित होता है। संयुक्त हिन्दू परिवार व्यवसाय में केवल कर्ता का दायित्व असीमित रहता है। सहकारी समितियों एवं कम्पनियों में सदस्यों का दायित्व सीमित होता है। विनियोजकों के लिए कम्पनी रूपी प्रारूप अधिक उचित माना जाता है क्योंकि इसमें उनका दायित्व सीमित रहता है।
3. **व्यवसाय की प्रकृति-** व्यावसायिक संगठन का स्वरूप उसके द्वारा किये जाने वाले व्यवसाय की प्रकृति के अनुकूल ही होना चाहिए। कई व्यवसाय ऐसे होते हैं जिनके लिए एकल स्वामित्व श्रेष्ठ रहता है, कुछ के लिए साझेदारी र कम्पनी प्रारूप उपयुक्त माना जाता है। जहाँ ग्राहक से सीधे सम्पर्क की आवश्यकता है जैसे नाई की दुकान या परचून की दुकान वहाँ एकल स्वामित्व अधिक उपयुक्त रहेगा। बड़ी निर्माणी इकाइयों के लिए जहाँ ग्राहक से सीधे व्यक्तिगत सम्पर्क की आवश्यकता नहीं है, कम्पनी स्वरूप को अपनाया जा सकता है। जहाँ पेशेवर सेवाओं की
4. आवश्यकता होती है वहाँ साझेदारी अधिक उपयुक्त रहती है।
5. **व्यवसाय का आकार-** व्यावसायिक संगठन के उचित स्वरूप का चुनाव करते समय व्यवसाय के आकार को भी ध्यान में रखा जाना चाहिए। छोटे फुटकर व्यापारी, लघु एवं कुटीर उद्योग आदि के लिए एकल स्वामित्व तथा संजीव पास बुक्स साझेदारी उपयुक्त है, क्योंकि थोड़ी पूँजी तथा सामान्य प्रबन्ध योग्यता द्वारा इन्हें आसानी से संचालित किया जा सकता है और इनकी जोखिम को वहन किया जा सकता है। किन्तु अधिक पूँजी एवं प्रबन्धकीय योग्यता की अधिक आवश्यकता हो तो कम्पनी प्रारूप उपयुक्त माना जाता है।

SHIVOM CLASSES 8696608541

SHIVOM CLASSES - WhatsApp for Notes (8696608541)

6. **नियन्त्रण की सीमा-** यदि व्यवसायी व्यवसाय पर एवं उसके प्रबन्ध पर व्यक्तिगत नियन्त्रण रखना चाहता है तो एकल स्वामित्व या साझेदारी उपयुक्त मानी जाती है किन्तु यदि वह व्यवसाय के संचालन का भार विशिष्ट प्रबन्धकों को सौंपना चाहता है तो कम्पनी प्रारूप अधिक उपयुक्त रहेगा।
7. **प्रबन्धन की योग्यता-** एकल स्वामी के लिए प्रचालन के सभी क्षेत्रों में विशेषज्ञों की सेवाएँ प्राप्त करना कठिन होता है क्योंकि इन पर अधिक खर्चा आता है, जबकि अन्य प्रकार के संगठन जैसे साझेदारी एवं कम्पनी में इसकी सम्भावना अधिक रहती है। कार्य-विभाजन के कारण प्रबन्धक कुछ क्षेत्रों में विशिष्टता प्राप्त कर लेते हैं जिससे निर्णयों में श्रेष्ठता बढ़ जाती है। लेकिन लोगों के विचारों में भिन्नता के कारण टकराव की स्थिति भी पैदा हो सकती है। इसके अतिरिक्त यदि संगठन के कार्यों की प्रकृति जटिल है तथा जिनमें पेशेवर प्रबन्धन की आवश्यकता हो तो कम्पनी स्वरूप उचित रहता है। इस प्रकार व्यवसाय के कार्यों की प्रकृति एवं पेशेवर प्रबन्ध की आवश्यकता संगठन के स्वरूप के चयन को प्रभावित करते हैं।
8. **निरन्तरता-** यदि व्यवसाय को स्थायी ढाँचे की आवश्यकता है तो कम्पनी प्रारूप अधिक उचित रहता है जबकि थोड़ी अवधि के व्यवसायों के लिए एकल स्वामित्व अथवा साझेदारी स्वरूप को प्राथमिकता दी जा सकती है। अतः व्यावसायिक संगठन के स्वरूप का चुनाव करते समय यह भी ध्यान रखा जाना चाहिए कि व्यवसाय को कितने स्थायित्व की आवश्यकता है। उसी के आधार पर व्यवसाय के स्वरूप का चयन किया जाना चाहिए।
9. **कर का भार-** व्यवसाय के विभिन्न स्वरूपों पर कर की तुलनात्मक मात्रा भी उसके स्वरूप का चुनाव करते समय ध्यान रखनी चाहिए। यदि सम्भावित लाभ की मात्रा अधिक हो सकती है तो कम्पनी संगठन में कर का भार अपेक्षाकृत कम होगा अन्यथा एकल स्वामित्व तथा साझेदारी संगठन उपयुक्त है।
10. **वैधानिक औपचारिकताएँ तथा सरकारी नियन्त्रण की सीमा-** वैधानिक औपचारिकताओं तथा सरकारी नियन्त्रण की सीमा विभिन्न व्यावसायिक स्वामित्व के स्वरूपों में अलग-अलग है। यह व्यवसायी व्यवसाय में अधिक वैधानिक औपचारिकताएं पूरी करना नहीं चाहता है तथा सरकारी नियन्त्रण कम चाहता है तो एकल स्वामित्व तथा साझेदारी संगठन उचित है अन्यथा कम्पनी संगठन अधिक उपयुक्त माना जाता है।

SHIVOM CLASSES 8696608541

SHIVOM CLASSES - WhatsApp for Notes (8696608541)

11. **विकास एवं विस्तार की सम्भावना-** यदि व्यवसाय के विकास एवं विस्तार की अत्यधिक सम्भावना है तो इस दृष्टि से कम्पनी संगठन सर्वोत्तम है।

प्रश्न 4 सहकारी संगठन स्वरूप के लक्षण, गुण एवं सीमाओं का विवेचन कीजिए। विभिन्न प्रकार की सहकारी समितियों को भी संक्षेप में समझाइए।

उत्तर- सहकारी संगठन-सहकारी संगठन उन व्यक्तियों का एक संगठन है जो अपने आर्थिक हितों के संवर्द्धन के लिए स्वेच्छा से समानता व परस्पर सहायता के आधार पर कार्य करते हैं । ये संगठन लाभ कमाने के लिए नहीं अपितु अपने सदस्यों की आवश्यकताओं व हितों की पूर्ति के लिए कार्य करते हैं। ये संगठन सहकारिता के प्रमुख सिद्धान्त 'एक सबके लिए सब एक के लिए' के आधार पर संचालित किये जाते हैं।

लक्षण-सहकारी संगठन स्वरूप के प्रमुख लक्षण निम्नलिखित हैं-

- स्वैच्छिक सदस्यता- सहकारी संगठन स्वरूप की सदस्यता ऐच्छिक होती है। कोई भी व्यक्ति किसी सहकारी संगठन में स्वेच्छा से सम्मिलित हो सकता है अथवा उसे छोड़ सकता है। सदस्यता खली रहती है।
- सीमित दायित्व- सहकारी संगठन या समिति के सदस्यों का दायित्व उनके द्वारा लगायी पूँजी की राशि तक सीमित रहता है।
- पंजीकरण अनिवार्य- सहकारी समिति का पंजीकरण अनिवार्य होता है।
- वैधानिक स्थिति- सहकारी समिति का पंजीयन होने से कम्पनी की तरह वैधानिक अस्तित्व होता है। वह अनुबन्ध कर सकती है, अपने नाम सम्पत्ति रख सकती है एवं दूसरों पर मुकदमा कर सकती है तथा दूसरे लोग एवं संस्थाएँ भी सहकारी समिति पर मुकदमा कर सकते हैं।
- सेवा-भावना- सहकारी समिति के उद्देश्य पारस्परिक सहायता एवं कल्याण के मूल्यों पर अधिक जोर देना होता है। इसलिए इसके कार्यों में सेवा-भावना का महत्त्व होता है।
- प्रजातान्त्रिक व्यवस्था- सहकारी संगठनों का प्रबन्ध लोकतान्त्रिक प्रणाली पर आधारित है। इसमें सभी कार्य सदस्यों की सभा में बहुमत के निर्णय के आधार पर लिये जाते हैं।
- समानता का सिद्धान्त- सहकारी संगठन समानता के सिद्धान्तों पर आधारित है। अतः इसमें 'एक व्यक्ति एक वोट' के सिद्धान्त के आधार पर पदाधिकारियों का चुनाव किया जाता है।

SHIVOM CLASSES 8696608541

SHIVOM CLASSES - WhatsApp for Notes (8696608541)

- पारस्परिक सहयोग- सहकारी संगठन का उद्देश्य पारस्परिक स्पर्धा को समाप्त कर सहयोग की भावना पर जोर देना है। एक सदस्य द्वारा दूसरे सदस्य की सहायता करना उसका नैतिक कर्त्तव्य बन जाता है।
- आर्थिक उद्देश्य- सहकारी संगठनों की स्थापना किसी-न-किसी आर्थिक उद्देश्य की पूर्ति के लिए की जाती
- सामूहिक प्रयास- सामूहिक प्रयासों द्वारा सामूहिक हितों की पूर्ति करना सहकारिता का प्रमुख उद्देश्य है। निजी स्वार्थ एवं व्यक्तिगत हित का कोई स्थान नहीं है।
- नकद व्यवसाय- सहकारी संगठन 'नकद दा माल लो' के सिद्धान्त पर अपने व्यवसाय का संचालन करते हैं।

गुण-सहकारी संगठन के कुछ प्रमुख गुण निम्नलिखित हैं-

- **वोट की समानता-** सहकारी संगठन में सदस्यों द्वारा लगायी गयी पूँजी की राशि से प्रभावित हुए बिना प्रत्येक सदस्य को वोट का समान अधिकार प्राप्त है।
- **सुगम स्थापना-** एक सहकारी संगठन के निर्माण में अधिक समय एवं धन नहीं लगता है। कोई भी दस व्यक्ति मिलकर इसका पंजीयन करा सकते हैं। वैधानिक औपचारिकताएँ कम रहती हैं।
- **खुली सदस्यता-** कोई भी व्यक्ति जब चाहे तब सहकारी संगठन का सदस्य बन सकता है और उसके स्थायित्व को प्रभावित किये बिना अपने अंश लौटाकर कभी भी संगठन की सदस्यता छोड़ सकता है।
- **प्रजातान्त्रिक प्रबन्ध व्यवस्था-** सहकारी संगठन का संचालन प्रबन्ध समिति करती है जिसके सदस्यों का निर्वाचन समान मताधिकार के आधार पर किया जाता है। एक सदस्य दूसरे सदस्य का शोषण नहीं कर सकता है।
- **सीमित दायित्व-** सहकारी संगठन के सदस्यों का दायित्व अपने द्वारा लगायी गई सम्पत्ति तक ही सीमित रहता है। सदस्यों का कोई व्यक्तिगत दायित्व नहीं होता है।

SHIVOM CLASSES 8696608541

SHIVOM CLASSES - WhatsApp for Notes (8696608541)

- **स्थायित्व-** सहकारी संगठन में सदस्यों की मृत्यु होने, दिवालिया होने या पागल होने का उसके अस्तित्व पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। सहकारी संगठन इन सबसे प्रभावित हुए बिना भी निर्बाध रूप से कार्य करता रहता है।
- **मितव्ययी प्रचालन-** सहकारी संगठनों में सामान्यतया अवैतनिक सेवाएँ होती हैं। इनका ध्यान मध्यस्थ की समाप्ति पर ही केन्द्रित रहता है। इससे लागत में कमी आती है।
- **सरकारी सहायता-** सहकारी समिति लोकतन्त्र एवं धर्मनिरपेक्षता का उदाहरण है। ये सेवा-भावना से कार्य करती हैं। अतः इनको कम टैक्स, अनुदान, नीची ब्याज की दर के ऋण के रूप में सरकार से सहायता मिलती है।

सीमाएँ-सहकारी संगठन की प्रमुख सीमाएँ निम्नलिखित हैं-

- **सीमित संसाधन-** सहकारी संगठन के संसाधन सदस्यों की पूँजी से ही बनते हैं। अतः इनके संसाधन सीमित ही होते हैं। फलतः ये संगठन अपने उद्देश्यों को पूर्णतया प्राप्त करने में सफल नहीं हो पाते हैं।
- **सरकारी नियन्त्रण-** सहकारी संगठन के कार्य-संचालन पर नियन्त्रण के बहाने राज्य सहकारी विभाग का हस्तक्षेप होता है। इससे समिति के प्रचालन की स्वतन्त्रता पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है।
- **निर्णय लेने में कठिनाई-** सहकारी संगठन में परस्पर विरोधी विचारों के कारण आन्तरिक कलह उत्पन्न हो सकता है, जिसके कारण निर्णय लेने में कठिनाई उत्पन्न होती है।
- **गोपनीयता का अभाव-** समिति के बही-खाते सभी सदस्यों द्वारा देखे जा सकते हैं। इसलिए व्यावसायिक रहस्यों को गुप्त रखना कठिन हो जाता है। इन समितियों में प्रायः जनता का विश्वास धीरे-धीरे कम हो जाता है।
- **अकुशल प्रबन्धन-** सहकारी संगठनों का प्रबन्ध ऐसे सदस्यों द्वारा किया जाता है जो प्रबन्ध कार्य में निपुण नहीं होते हैं। सीमित साधनों के कारण यह संगठन कुशल प्रबन्धकों की नियुक्ति भी नहीं कर पाते हैं। फलतः इनका प्रबन्ध शिथिल ही रहता है।
- **सदस्यों में सहयोग का अभाव-** सहकारी संगठनों में सदस्यों के विचारों में भिन्नता के कारण तथा हितों के टकराव के कारण कुछ समय पश्चात् ही सदस्यों में कलह एवं द्वेष उत्पन्न

SHIVOM CLASSES 8696608541

SHIVOM CLASSES - WhatsApp for Notes (8696608541)

हो जाते हैं। गुटबन्दी एवं भाई-भतीजावाद से झगड़े बढ़ते हैं। फलतः सामान्य सदस्य समिति के प्रति उदासीन हो जाते हैं।

सहकारी समितियों के प्रकार-

1. **उपभोक्ता सहकारी समितियाँ-** इन समितियों का गठन उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा के लिए किया जाता है। इसके सदस्य वे उपभोक्ता होते हैं, जो बढ़िया किस्म की वस्तुएँ उचित मूल्य पर प्राप्त करना चाहते हैं। इन समितियों का उद्देश्य मध्यस्थ को समाप्त करना ही होता है।
2. **उत्पादक सहकारी समितियाँ-** इन समितियों की स्थापना छोटे उत्पादकों के हितों की रक्षा के लिए की जाती है। समितियों का उद्देश्य बड़े पूँजीपतियों के विरुद्ध खड़े होना तथा छोटे उत्पादकों की सौदा करने की शक्ति को बढ़ाना है। यह समिति सदस्यों को कच्चा माल, उपकरण एवं अन्य आगतों की आपूर्ति करती है तथा बिक्री के लिए उनके उत्पादों को खरीदती है।
3. **विपणन सहकारी समितियाँ-** विपणन सहकारी समितियों का गठन छोटे उत्पादकों को उनके उत्पादों को बेचने में सहायता करने के उद्देश्य से किया जाता है। इन समितियों का उद्देश्य बिचौलियों को समाप्त करना और उत्पादों के लिए अनुकूल बाजार सुरक्षित कर सदस्यों की प्रतियोगी स्थिति में सुधार करना है। समिति प्रत्येक सदस्य के उत्पाद को एकत्रित करके इन्हें सर्वोत्तम मूल्य पर बेचने का प्रयास करती है।
4. **कृषक सहकारी समितियाँ-** इन समितियों के सदस्य वे किसान होते हैं जो मिलकर कृषि कार्यों को करना चाहते हैं। समिति का उद्देश्य बड़े पैमाने पर कृषि का लाभ उठाना एवं उत्पादकता को बढ़ाना है। ऐसी समितियाँ सदस्यों . को अच्छा बीज, खाद, मशीन एवं अन्य आधुनिक तकनीक उपलब्ध कराती हैं।
5. **सहकारी ऋण समितियाँ-** इन समितियों की स्थापना सदस्यों को आसान शर्तों पर सरलता से कर्ज उपलब्ध कराने के लिए की जाती है। इसमें वे व्यक्ति सदस्य बनना चाहते हैं जो ऋणों के रूप में वित्तीय सहायता चाहते हैं।

SHIVOM CLASSES 8696608541

SHIVOM CLASSES - WhatsApp for Notes (8696608541)

6. **सहकारी आवास समितियाँ-** इन समितियों की स्थापना सीमित आय के लोगों को उचित लागत पर मकान बनाने में सहायता करने के लिए की जाती है। इस समिति का उद्देश्य अपने सदस्यों की आवासीय समस्याओं का समाधान करना है। इस समिति के वे व्यक्ति सदस्य बनते हैं जो उचित मूल्य पर आवास प्राप्त करने के इच्छुक होते हैं।

प्रश्न 5 एक संयुक्त हिन्दू परिवार व्यवसाय एवं साझेदारी में अन्तर कीजिए।

उत्तर- एक संयुक्त हिन्दू परिवार व्यवसाय एवं साझेदारी में अन्तर-

1. **अनुबन्ध-** संयुक्त हिन्दू परिवार में बालक जन्म लेने के साथ ही व्यापार में अपने हिस्से का अधिकारी हो जाता है, जबकि साझेदारी व्यवसाय प्रारम्भ करने से पूर्व साझेदारों के बीच अनुबन्ध या समझौता किया जाना आवश्यक है।
2. **पंजीयन-** संयुक्त हिन्दू परिवार व्यवसाय के पंजीयन की आवश्यकता ही नहीं होती है, जबकि साझेदारी फर्म का पंजीयन करवाना ऐच्छिक होता है।
3. **वैधानिक औपचारिकताएँ-** संयुक्त हिन्दू परिवार व्यवसाय के लिए वैधानिक औपचारिकताओं की बहुत ही कम आवश्यकता होती है, जबकि साझेदारी व्यवसाय में फर्म के पंजीयन के लिए कई वैधानिक औपचारिकताओं को पूरा किया जाना आवश्यक होता है।
4. **दायित्व-** संयुक्त हिन्दू परिवार व्यवसाय में सदस्य का दायित्व सीमित होता है किन्तु कर्ता का दायित्व असीमित होता है, जबकि साझेदारी व्यवसाय में साझेदारों की देयता असीमित होती है सीमित देयता वाली साझेदारी को छोड़कर।
5. **ऋण लेना-** संयुक्त हिन्दू परिवार व्यवसाय में ऋण लेने का अधिकार केवल कर्ता का होता है, जबकि साझेदारी व्यवसाय में कोई भी साझेदार व्यवसाय के लिए ऋण ले सकता है।
6. **सदस्यों की संख्या-** संयुक्त हिन्दू परिवार व्यवसाय में जितने सदस्य होते हैं वे सभी व्यवसाय के सदस्य माने जाते हैं। साझेदारी फर्म में कम-से-कम दो और अधिकतम 50 साझेदार हो सकते हैं।
7. **मृत्यु का प्रभाव-** संयुक्त हिन्द परिवार व्यवसाय के कर्ता की मत्य का परिवार के कार्य संचालन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, जबकि साझेदारी में साझेदार की मृत्यु हो जाने से प्रायः साझेदारी व्यवसाय समाप्त हो जाता है।

SHIVOM CLASSES 8696608541

SHIVOM CLASSES - WhatsApp for Notes (8696608541)

8. **पूँजी-** संयुक्त हिन्दू परिवार व्यवसाय में पूर्वजों की सम्पत्ति लगी होती है, जबकि साझेदारी फर्म में साझेदारों की सम्पत्ति लगी होती है।
9. **निरन्तरता-** संयुक्त हिन्दू परिवार व्यवसाय में कर्त्ता की मत्य पर भी आगे व्यवसाय चलता रहता है, जबकि साझेदारी फर्म में फर्म का अस्तित्व साझेदारों के अस्तित्व से प्रभावित रहता है। साझेदार की मृत्यु होने, पागल या दिवालिया होने का फर्म के अस्तित्व पर प्रभाव पड़ता है।
10. **प्रबन्ध एवं नियन्त्रण-** संयुक्त हिन्दू परिवार व्यवसाय कर्ता के प्रबन्ध एवं नियन्त्रण में रहता है, जबकि साझेदारी फर्म पर सभी साझेदारों का प्रबन्ध एवं नियन्त्रण रहता है।

प्रश्न 6 आकार एवं संसाधनों की सीमाओं के होते हुए भी लोग एकल व्यवसाय को अन्य संगठनों की तुलना में प्राथमिकता क्यों देते हैं?

उत्तर- एकल व्यवसाय को अन्य संगठनों की तुलना में प्राथमिकता देने के कारण-एकल स्वामित्व वाले व्यवसाय में एक व्यक्ति ही उस व्यवसाय का स्वामी होता है। इस अकेले व्यक्ति की अपनी सीमाएँ होती हैं। उसके द्वारा किये जाने वाले व्यवसाय का आकार लघु ही होता है तथा संसाधन भी सीमित होते हैं। इन सबके बावजूद भी एकल स्वामित्व में निम्नलिखित कुछ गुण होते हैं जिनके कारण ही लोग अन्य संगठनों की तुलना में प्राथमिकता देते हैं-

1. **शीघ्र निर्णय-** एकल स्वामी को व्यवसाय से सम्बन्धित निर्णय लेने की बहुत अधिक स्वतन्त्रता होती है क्योंकि उसे किसी दूसरे से सलाह लेने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए वह शीघ्र निर्णय लेकर व्यावसायिक सुअवसरों का लाभ उठा सकता है। यही कारण है कि व्यक्ति एकल व्यवसाय को अन्य संगठनों की तुलना में प्राथमिकता देते हैं।
2. **गोपनीयता-** एकल स्वामित्व वाले व्यवसाय को प्राथमिकता देने का एक कारण यह भी है कि इसमें गोपनीयता अत्यधिक रहती है। क्योंकि इसमें स्वामी अकेला ही निर्णय लेने का अधिकार रखता है। वह व्यापार संचालन के सम्बन्ध में सूचनाओं को गुप्त रख सकता है।
3. **प्रत्यक्ष प्रोत्साहन-** एकल व्यवसाय का स्वामी अकेला व्यक्ति ही होता है। इसलिए उसे व्यवसाय के लाभ में हिस्सा बँटाने की जरूरत नहीं होती है। इससे उसे कठिन परिश्रम करने

SHIVOM CLASSES 8696608541

SHIVOM CLASSES - WhatsApp for Notes (8696608541)

के लिए अधिकतम प्रोत्साहन मिलता है। इस कारण भी लोग एकल व्यवसाय को प्राथमिकता देते हैं।

4. **उपलब्धि का एहसास-** एकल व्यवसाय में व्यवसायी द्वारा अपने स्वयं के लिए कार्य करने से व्यक्तिगत सन्तुष्टि प्राप्त होती है। इस बात का एहसास कि वह स्वयं ही. अपने व्यवसाय की सफलता के लिए उत्तरदायी है, न केवल उसे आत्म-सन्तोष प्रदान करता है वरन् स्वयं की योग्यता एवं क्षमता में विश्वास की भावना भी पैदा करता है।
5. **सरल प्रारम्भ-** एकल व्यवसाय प्रारम्भ करने में किसी प्रकार की कोई वैधानिक औपचारिकता पूरी नहीं करनी होती है। एकल व्यवसाय को आसानी से शुरू किया जा सकता है और सरलता से चलाया जा सकता है। इस प्रकार का गुण भी लोगों को इस प्रकार के प्रारूप का चुनाव करने में अत्यधिक सहायक होता है।
6. **मितव्ययिता-** एकाकी व्यापारी स्वयं ही अपने व्यवसाय की देखभाल करता है, स्वयं ही सारे प्रबन्धकीय कार्यों का निष्पादन करता है तथा स्वयं ही नीतियों को निर्धारित करता है। वह अपने धन को अधिक से अधिक उपयोगी एवं लाभप्रद कार्यों में लगाता है। फलतः एकल व्यापार में मितव्ययिता अधिक होती है क्योंकि इन सब कार्यों के लिए उसे अलग से कुछ खर्च नहीं करना पड़ता है।
7. **व्यक्तिगत सम्पर्क-** एकल व्यवसायी उपभोक्ता से प्रत्यक्ष सम्पर्क स्थापित कर अपने व्यक्तित्व व प्रभाव से उन्हें अपनी ओर आकर्षित कर सकता है। उपभोक्ताओं को उनकी व्यक्तिगत रुचि के अनुसार उनकी आवश्यकताओं को पूरा कर लाभ उठाता है।
8. **पूर्ण नियन्त्रण-** एकल व्यापार में स्वामी को व्यापार के प्रबन्ध की पूर्ण स्वतन्त्रता होती है। अतः वह अपनी इच्छानुसार इसका नियोजन एवं नियन्त्रण कर सकता है। इस प्रकार उसका व्यापार पर पूर्ण नियन्त्रण बना रहता है।
9. **सामाजिक उपयोगिता-** एकल व्यवसाय न केवल समाज में लोगों को रोजगार उपलब्ध करवाता है वरन उनकी आवश्यकता, रुचि व माँग के अनुरूप वस्तुएँ उपलब्ध कराता है। इससे राष्ट्रीय आय के समान वितरण की सम्भावना बनी रहती है। साथ ही पूँजी के विकेन्द्रीकरण को भी बढ़ावा मिलता है।

SHIVOM CLASSES 8696608541

SHIVOM CLASSES - WhatsApp for Notes (8696608541)

10. **सतर्कता-** व्यापार का पूर्ण भार अकेले व्यापारी पर ही होता है। अतः वह बड़ी सतर्कता से व्यापार का संचालन करता है।
11. **आत्मविश्वास-** एकल व्यापारी अपने समस्त कार्यों की देखरेख स्वयं ही करता है। अतः उसमें आत्म विश्वास की भावना जागृत होना स्वाभाविक है।
12. **व्यक्तिगत सेवाएँ-** व्यवसाय का यह स्वरूप विशेष रूप से उन क्षेत्रों में प्रचलन में अत्यधिक रहता है जिनमें व्यक्तिगत सेवाएँ प्रदान की जाती हैं जैसे ब्यूटी पार्लर, नाई की दुकान, पान की दुकान एवं छोटे पैमाने के व्यापार जैसे किसी क्षेत्र में एक फुटकर व्यापार की दुकान चलाना आदि। ये ऐसे व्यवसाय हैं जिनके संचालन के लिए एकल स्वामित्व स्वरूप सर्वाधिक उपयुक्त माना जाता है।

उपर्युक्त सभी गुण एकल स्वामित्व में इस प्रकार के हैं जिनका फायदा उठाने के लिए लोग एकल स्वामित्व को चुनने में प्राथमिकता देते हैं।

व्यावहारिक प्रश्न-

प्रश्न 1 किस संगठन स्वरूप में एक स्वामी के व्यापारिक करार अन्य स्वामियों को भी बाध्य कर देते हैं? उत्तर के समर्थन में कारण दीजिए।

उत्तर- व्यावसायिक स्वामित्व का साझेदारी संगठन स्वरूप ऐसा स्वरूप है जिसमें एक स्वामी के व्यापारिक करार अन्य स्वामियों को भी बाध्य कर देते हैं क्योंकि यह निम्न कारणों से होता है-

1. **एजेन्सी के सम्बन्ध-** साझेदारी संगठन में फर्म के सभी साझेदारों के मध्य एजेन्सी के सम्बन्ध स्थापित हो जाते हैं। इसमें प्रत्येक साझेदार फर्म का स्वामी एवं एजेण्ट दोनों ही होता है। साझेदार-एजेण्ट के रूप में कोई कार्य करता है तो वह अपने कार्यों के लिए अन्य साझेदारों (स्वामियों) को बाध्य कर सकता है। स्वामी के रूप में कार्य करने पर वह अन्य साझेदारों के लिए भी बाध्य होता है।
2. **पृथक् वैधानिक अस्तित्व नहीं-** साझेदारी संगठन में फर्म तथा साझेदारों का पृथक्-पृथक् अस्तित्व नहीं रहता है। जो व्यक्ति साझेदारी समझौता करते हैं वे व्यक्तिगत रूप से साझेदार व सामूहिक रूप से फर्म कहलाते हैं। फर्म पर लागू होने वाले सभी अनुबन्ध साझेदारों पर

SHIVOM CLASSES 8696608541

SHIVOM CLASSES - WhatsApp for Notes (8696608541)

भी समान रूप से लागू होते हैं। एक साझेदार द्वारा फर्म के लिए लिये गये ऋण को फर्म अथवा सभी साझेदारों द्वारा चुकाना पड़ता है।

प्रश्न 2 एक संगठन की व्यावसायिक परिसम्पत्तियों की राशि 50,000 रुपये है लेकिन अदत्त देय राशि 80,000 रुपये हैं। लेनदार निम्न स्थितियों में क्या कार्यवाही कर सकते हैं ?

(क) यदि संगठन एक एकल स्वामित्व इकाई है।

(ख) यदि एक संगठन साझेदारी फर्म है जिसमें एन्थोनी और अकबर साझेदार हैं तो लेनदार इन दो में से किस साझेदार के पास अपनी लेनदारी के भुगतान हेतु सम्पर्क साध सकते हैं। कारण सहित समझाइए।

उत्तर-

(क) एकल संगठन की स्थिति में किसी भी प्रकार की देयता के लिए एकल स्वामी स्वयं ही उत्तरदायी रहेगा। क्योंकि उसके व्यवसाय का तथा उसका अस्तित्व एक ही होता है, अलग-अलग नहीं। लेनदार एकल स्वामी के विरुद्ध कार्यवाही कर अदत्त देय राशि वसूल कर सकते हैं।

(ख) साझेदारी फर्म में एन्थोनी और अकबर साझेदार हैं तो लेनदार दोनों में से किसी को भी अपनी लेनदारी के भुगतान के लिए बाध्य कर सकता है और किसी से भी इसके लिए सम्पर्क साध सकता है क्योंकि साझेदारी फर्म में प्रत्येक साझेदार फर्म के ऋण के लिए संयुक्त रूप से तथा पृथक्-पृथक् रूप में उत्तरदायी ठहराये जा सकते हैं। प्रत्येक साझेदार एक-दूसरे के एजेण्ट के रूप में भी कार्य करता है।

प्रश्न 3 किरन एक एकल व्यवसायी है। पिछले दशक में उसका व्यवसाय पड़ोस के एक कोने की दुकान से, जिसमें वह नकली आभूषण, बैग, बालों की क्लिप, नेल पॉलिश आदि बेचती थी, से बढ़कर तीन शाखाओं वाली फुटकर श्रृंखला में बदल गया है। यद्यपि वह सभी शाखाओं के विभिन्न कार्यों को स्वयं देखती है, परन्तु अब सोच रही है कि व्यवसाय के बेहतर प्रबन्धन के लिए उसे एक कम्पनी का निर्माण करना चाहिए या नहीं। उसकी योजना देश के अन्य भागों में शाखाएँ खोलने की भी है।

(क) एकल स्वामी बने रहने के दो लाभों को समझाइए।

SHIVOM CLASSES - WhatsApp for Notes (8696608541)

(ख) संयुक्त पूँजी कम्पनी में परिवर्तित करने के दो लाभ बतलाइए।

(ग) राष्ट्रीय स्तर पर व्यवसाय करने के निर्णय पर संगठन के स्वरूप के चुनाव में उसकी भूमिका क्या होगी?

(घ) कम्पनी के रूप में व्यवसाय करने के लिए उसे किन-किन कानूनी औपचारिकताओं को पूरा करना होगा?

उत्तर- (क) एकल स्वामी बने रहने के लाभ-एकल स्वामी बने रहने के निम्न दो लाभ होंगे

1. **गोपनीयता-** एकल स्वामी अकेले ही निर्णय लेने का अधिकार रखता है। इसलिए वह व्यापार संचालन के सम्बन्ध में समस्त सूचनाओं को गुप्त रख सकती है तथा व्यवसाय के सम्बन्ध में गोपनीयता बनाये रख सकती है।
2. **प्रत्यक्ष प्रेरणा-** एकल व्यवसाय में एक व्यक्ति ही स्वामी होता है। इसलिए उस एकल स्वामी को अपने व्यवसाय से प्राप्त होने वाले लाभ को किसी को बाँटने की जरूरत नहीं होती है। वह जितनी मेहनत करेगी उसी के प जो भी व्यवसाय में लाभ होगा वह उसी का रहेगा। अतः एकल व्यवसाय में प्रत्यक्ष प्रेरणा स्वामी को मिलती है।

(ख) संयुक्त पूँजी कम्पनी में परिवर्तित करने के लाभ-किरन यदि अपने व्यवसाय को संयुक्त पूँजी कम्पनी में परिवर्तित करती है तो उसको निम्न लाभ प्राप्त होंगे-

1. **सीमित दायित्व-** संयुक्त पूँजी कम्पनी में सदस्यों का दायित्व उनके द्वारा खरीदे गये अंशों के मूल्य अथवा उनके द्वारा दी गई गारण्टी की राशि तक सीमित रहता है। इससे जो व्यक्ति कम्पनी में अपना धन विनियोजित करता है उसका दायित्व सीमित ही रहता है। इस निश्चित एवं सीमित जोखिम के कारण सामान्य व्यक्ति भी अपनी छोटी-छोटी बचतों को कम्पनी में बिना किसी अतिरिक्त जोखिम के विनियोजित कर सकता है।
2. **अधिक वित्तीय साधन-** सामान्यतया कम्पनी की पूँजी छोटे-छोटे अंशों में विभाजित होती है। कम्पनी इन अंशों को जनता को निर्गमित कर अपनी आवश्यकतानुसार जितना चाहे धन जनता से प्राप्त कर सकती है। जो व्यक्ति कम्पनी में अपना धन लगाते हैं उनकी जोखिम

SHIVOM CLASSES 8696608541

SHIVOM CLASSES - WhatsApp for Notes (8696608541)

भी सीमित ही होती है। इस प्रकार कम्पनी रूपी प्रारूप में अधिक से अधिक लोगों से धन एकत्रित किया जा सकता है।

(ग) राष्ट्रीय स्तर पर व्यवसाय करने के निर्णय पर संगठन के स्वरूप के चुनाव में अनेक तत्त्व महत्त्वपूर्ण हो सकते हैं। इन तत्त्वों में व्यवसाय में लगने वाली प्रारम्भिक लागत, सदस्यों का दायित्व, व्यवसाय की प्रकृति, व्यवसाय का आकार, नियन्त्रण की सीमा, प्रबन्धन की योग्यता, निरन्तरता, कर का भार, वैधानिक औपचारिकताएँ तथा सरकारी नियन्त्रण की सीमा तथा विकास एवं विस्तार की सम्भावना आदि मुख्य हैं। प्रत्येक व्यावसायिक स्वामित्व के स्वरूप के अपने-अपने लाभ दोष हैं। इन सभी के लाभ-दोषों पर किरन को ही विचार करना होगा। इसके साथ ही उपर्युक्त तत्त्वों को ध्यान में रखते हुए ही संगठन का स्वरूप चुनना होगा। संगठन का स्वरूप यदि वह चाहे तो आवश्यकतानुसार समय-समय पर बदल भी सकती है। यदि किरन एकल संगठन का चुनाव करती है तो उसके अनेक लाभ हैं, किन्तु एकल व्यवसाय में व्यवसाय के अत्यधिक उन्नति, विकास एवं विस्तार की सम्भावना नहीं है उसका प्रबन्ध करना भी कठिन हो जायेगा अतः ऐसी दशा में किरन को संयुक्त पूँजी कम्पनी संगठन का चयन करना चाहिए। क्योंकि संयुक्त पूँजी कम्पनी स्वरूप के अनेक लाभ प्राप्त हो सकेंगे।

(घ) कम्पनी के रूप में व्यवसाय करने के लिए पूरी की जाने वाली कानूनी औपचारिकताएँ-

1. **कम्पनी का समामेलन-** सर्वप्रथम किरन को कम्पनी के रूप में व्यवसाय करने के लिए कम्पनी की स्थापना या निर्माण के लिए कानूनी कार्यवाही करनी होगी। इसके लिए सम्बन्धित कम्पनी रजिस्ट्रार के यहाँ कम्पनी का पंजीकरण करवाना होगा। पंजीकरण के लिए सर्वप्रथम कुछ प्रारम्भिक क्रियाएँ करनी होती हैं जिनमें कम्पनी का प्रकार निर्धारित करना, रजिस्टर्ड कार्यालय का स्थान निर्धारित करना, प्रस्तावित संचालकों द्वारा पहचान संख्या प्राप्त करना, डिजिटल सिगनेचर प्राप्त करना, कम्पनी के नाम का चयन एवं आरक्षण करना, सीमा नियम व अन्तर्नियम तैयार करना, प्रलेखों की रजिस्ट्रार से जाँच करवाना, सीमा नियम व अन्तर्नियमों को छपवाना, मुद्रांक लगाना, तिथि अंकित करना, अभिदाताओं के हस्ताक्षर करवाना, कानूनी अपेक्षाओं की पूर्ति सम्बन्धी घोषणा प्राप्त करना, अभिदाताओं के विवरण प्राप्त करना, प्रथम संचालकों का विवरण प्राप्त करना, संचालकों की सहमति प्राप्त

SHIVOM CLASSES - WhatsApp for Notes (8696608541)

करना सम्बन्धित नियामक संस्थाओं से पंजीयन अथवा अनुमोदन करना तथा अन्य अनुमोदन करना।

तत्पश्चात् कम्पनी के समामेलन हेतु आवेदन करना होगा। इस आवेदन पत्र के साथ पत्राचार हेतु पते की सूचना, सीमानियम, अन्तर्नियम, सम्बन्धित नियामक संस्थ संजीव पास बुक्स कानूनी अपेक्षाओं की पूर्ति की घोषणा, अभिदाताओं तथा प्रथम संचालकों का शपथपत्र, प्रत्येक अभिदाता का विवरण, प्रथम संचालकों का विवरण व उनके हितों का विवरण, संचालकों की लिखित सहमति, नाम आरक्षण की पुष्टि करने वाले पत्र की प्रति, अभिदाताओं की ओर से प्रपत्रों पर हस्ताक्षर करने का मुख्तारनामा तथा निर्धारित शुल्क की रसीद।

कम्पनी रजिस्टर क्रमशः सभी प्रपत्रों की जाँच-पड़ताल करता है। जब कम्पनी के द्वारा प्रस्तुत सभी प्रलेख ठीक पाये जाते हैं तो रजिस्ट्रार उन सभी प्रलेखों एवं सूचनाओं का कम्पनियों के रजिस्टर में पंजीयन कर लेता है। इस प्रकार कम्पनी का पंजीयन भी हो जाता है। इसके उपरान्त रजिस्ट्रार कम्पनी के समामेलन का प्रमाण पत्र जारी कर देता है। समामेलन के प्रमाण-पत्र में उल्लेखित तिथि को रजिस्ट्रार कम्पनी को कम्पनी का एक 'पहचान क्रमांक' भी आवंटित करता है तो उसी तिथि से मान्य होगा। यही 'कम्पनी पहचान क्रमांक' कम्पनी के समामेलन के प्रमाण पत्र में लिखा जायेगा।

2. **व्यवसाय आरम्भ-** नवीन प्रावधानों के अनुसार कम्पनी अपना समामेलन का प्रमाण पत्र प्राप्त करने के साथ ही अपने व्यवसाय/कारोबार के संचालन के लिए हकदार हो जाती है। इसके पश्चात् कम्पनी को अपने व्यवसाय को आरम्भ करने के लिए अन्य किसी भी औपचारिकता का पालन नहीं करना पड़ता है।

SHIVOM CLASSES 8696608541

SHIVOM CLASSES - WhatsApp for Notes (8696608541)